भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व प्राप्तियां)
हिमाचल प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व प्राप्तियां)
हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		**iii**
विहंगावलोकन		**v-vii**
पहला अध्याय: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
बजट आकलनों व वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं	1.2	4
संग्रहणों का विश्लेषण	1.3	5
संग्रहण लागत	1.4	6
प्रति निर्धारिती बिक्री कर संग्रहण	1.5	7
बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.6	7
बकाया निर्धारण	1.7	9
कर अपवंचन	1.8	9
प्रत्यर्पण	1.9	10
लेखापरीक्षा परिणाम	1.10	10
उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा सरकार के हितों की रक्षा करने में वरिष्ठ कर्मचारियों की विफलता	1.11	10
विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें	1.12	12
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों का राज्य सरकार द्वारा उत्तर	1.13	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति	1.14	12
स्वीकृत मामलों के राजस्व की वसूली	1.15	13
दूसरा अध्याय: बिक्री कर		
लेखापरीक्षा परिणाम	2.1	14
भू-राजस्व बकाया के रूप में संग्रहण हेतु लम्बित सरकारी देयताएं	2.2	15
विनिर्माण इकाइयों पर कर का अल्पोद्ग्रहण	2.3	23
कर की गलत छूट/रियायती दर की अनुमति	2.4	23
रियायत वापस न लेने के कारण अवनिर्धारण	2.5	24
तीसरा अध्याय: राज्य आबकारी		
लेखापरीक्षा परिणाम	3.1	26
लाईसैंस फीस तथा ब्याज की वसूली न करना	3.2	27
अधिक अपव्यय पर शुल्क की वसूली न करना	3.3	27
बढ़ी दरों पर आबकारी शुल्क की वसूली न करना	3.4	28

विवरण	परिच्छेद	पृष्ठ
चौथा अध्याय: वाहन, माल व यात्री कर		
लेखापरीक्षा परिणाम	4.1	29
विशेष पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण	4.2	30
विशेष पथ कर की अदायगी न करना/शास्ति का अनुद्ग्रहण	4.3	30
सांकेतिक कर का भुगतान न करना	4.4	31
एक मुश्त सांकेतिक कर का अल्पोद्ग्रहण	4.5	32
विशेष पथ कर का अल्पोद्ग्रहण	4.6	32
सांकेतिक कर प्रभारित न करना	4.7	33
आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न करवाए गए वाहन	4.8	33
पांचवा अध्याय: वन प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा परिणाम	5.1	35
समीक्षा: **वनों का दोहन**	5.2	36
भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलीयोग्य बकायों की वसूली	5.3	52
परमिट फीस का अनुद्ग्रहण	5.4	54
बाड़ के खम्बों की लागत प्रभारित न करना	5.5	55
इमारती लकड़ी के वितरण में अनाधिकृत रूप से वृक्ष प्रदान करना	5.6	55
कालातीत मामलों के कारण राजस्व की हानि	5.7	56
क्षतियों एवं क्षतिपूर्ति का अवनिर्धारण	5.8	56
सावधि जमा में निधियां न रखने के कारण ब्याज की हानि	5.9	57
छठा अध्याय: अन्य कर-कर-भिन्न प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा परिणाम	6.1	59
(क) स्टॉम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस		
दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण	6.2	60
सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण	6.3	61
गलत छूट	6.4	62
आवास ऋणों पर गलत छूट	6.5	63
(ख) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग		
जल प्रभारों की वसूली न करना	6.6	63
(ग) लोक निर्माण विभाग		
अनधिकृत अधिभोगियों से क्षतियों की वसूली न करना	6.7	64

प्रस्तावना

31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। इस प्रतिवेदन में राज्य के बिक्री कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन कर, यात्री एवं माल कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2005-2006 में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामले तथा पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगोचर हुए परन्तु विगत वर्षों के प्रतिवेदनों में स्थान न पा सकने वाले मामले उल्लिखित हैं।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में करों, शुल्कों, फीस, ब्याज तथा शास्ति, आदि के 58.32 करोड़ रू0 की राशि के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण से सम्बन्धित एक समीक्षा सहित 28 परिच्छेद हैं। कुछ मुख्य निष्कर्ष निम्नांकित हैं:-

1. सामान्य

- सरकार की वर्ष 2005-06 की कुल प्राप्तियां 6,558.62 करोड़ रू0 थी। 2,186.69 करोड़ रू0 की राजस्व प्राप्तियों में 1,497.02 करोड़ रू0 कर राजस्व के तथा 689.67 करोड़ रू0 कर-भिन्न राजस्व के सम्मिलित थे। राज्य ने विभाज्य संघीय करों में से राज्यांश के रूप में ~~439.26~~ 493.26 करोड़ रू0 तथा अनुदान के रूप में 3,878.67 करोड़ रू0 भारत सरकार से प्राप्त किए। कर प्राप्तियों का मुख्य भाग बिक्री, व्यापार, आदि पर कर (726.98 करोड़ रू0), राज्य आबकारी (328.97 करोड़ रू0), वाहन कर (101.51 करोड़ रू0), विद्युत कर एवं शुल्क (89.29 करोड़ रू0), माल एवं यात्री कर (42.61 करोड़ रू0), तथा स्टाम्प व पंजीकरण फीस (82.43 करोड़ रू0) से प्राप्त हुआ। कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियां विद्युत (251.47 करोड़ रू0), वानिकी व वन्य प्राणी (149.63 करोड़ रू0) तथा अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग (42.90 करोड़ रू0) से थीं।

(परिच्छेद 1.1)

- 31 मार्च 2006 को राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत बकाया राजस्व 396.96 करोड़ रू0 था, जिसमें से 100.00 करोड़ रू0 बिक्री, व्यापारादि पर कर से सम्बन्धित थे।

(परिच्छेद 1.6)

- वर्ष 2005-2006 के दौरान बिक्री कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 1037 मामलों में 219.88 करोड़ रू0 की राशि के अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/राजस्व हानि का पता चला। वर्ष 2005-2006 के दौरान सम्बद्ध विभागों ने अवनिर्धारण आदि के 28.11 करोड़ रू0 के 850 मामले स्वीकार किये जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था।

(परिच्छेद 1.10)

2. बिक्री कर

भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु लम्बित सरकारी देयताओं की समीक्षा से निम्न उद्घाटित हुआ:

- चार जिलों में बकाया प्रमाणपत्रों में ब्याज के 1.64 करोड़ रू0 तथा कर देयताओं के 1.55 करोड़ रू0 सम्मिलित नहीं किए। इसके परिणामस्वरूप 3.19 करोड़ रू0 के सरकारी राजस्व को कम घोषित किया।

(परिच्छेद 2.2.9 एवं 2.2.10)

- आठ जिलों में 18 चूककर्ताओं की सम्पत्ति नीलामी हेतु जब्त की। परन्तु जैसाकि नियमों में अपेक्षित है, सम्बन्धित मण्डलीय आयुक्तों ने उनकी नीलामी हेतु अनुमति प्राप्त नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप 19.93 करोड़ रू0 के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 2.2.11)

- चार जिलों के नौ मण्डलों में विभाग द्वारा अपर्याप्त कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप 1.18 करोड़ रू0 की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 2.2.13)

- दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा कर की गलत छूट/रियायती दर प्रदान करने के परिणामस्वरूप 1.07 करोड़ रू0 के कर का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.4)

3. राज्य आबकारी

- वर्ष 2004-05 के दौरान पांच जिलों के पांच लाईसैंसधारी लाईसैंस फीस तथा उस पर ब्याज की मासिक किश्त का भुगतान करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप 39.97 लाख रू0 के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.2)

4. वाहन, माल एवं यात्री कर

- सात क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा विशेष पथ कर तथा शास्ति के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप 18.98 करोड़ रू0 के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 4.3)

- 18 पंजीयन एवं अनुज्ञापन कार्यालयों तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण, शिमला ने सांकेतिक कर के 99.61 लाख रू0 वसूल नहीं किए। इसके अतिरिक्त, सांकेतिक कर, शास्ति के 99.61 लाख रू0 भी उद्ग्राहय थे।

(परिच्छेद 4.4)

5. वन प्राप्तियां

"वनों का दोहन" की समीक्षा से निम्न उद्घाटित हुआ:

- विभाग 31 मार्च 2005 तक लम्बित संग्रहण बकायों की स्थिति का पता लगाने में विफल रहा। इसने निगम के प्रति लम्बित संग्रहण 91.70 करोड़ रू0 दर्शाया जबकि बाद में केवल 11.70 करोड़ रू0 स्वीकार किया।

(परिच्छेद 5.2.9)

- निगम द्वारा भारित औसत बिक्री दर की सत्यता का पता लगाने के लिए किसी भी विरचना का होना प्रस्तुत नहीं किया गया जो रॉयल्टी की दरों का सही निर्धारण करने के लिए आधार था।

- मूल्य निर्धारण समिति/माननीय विधानसभा तथा प्रधान मुख्य अरण्यपाल को आपूरित किए गए आंकड़ों में अंतर पाया गया। तद्नुसार रॉयल्टी के सही निर्धारण का पता नहीं लगाया जा सका।

(परिच्छेद 5.2.12)

- आधे टूटे हुए वृक्षों हेतु छूट प्रदान करने के निर्णय में लकूने के परिणामस्वरूप 1.63 करोड़ रू0 की रॉयल्टी का कम निर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 5.2.14)

- 2001-02 से 2004-05 के दौरान 276 समूहों की कार्यशील अवधि में समयवृद्धि का यद्यपि निगम द्वारा आवेदन किया गया था परन्तु स्वीकृत नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रू0 की विस्तार फीस की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.2.18)

- बिरोजा ब्लेजों की रॉयल्टी की विलम्ब से की गई अदायगी पर ब्याज प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप 1.75 करोड़ रू0 के राजस्व की कम वसूली की गई।

(परिच्छेद 5.2.20)

- नि:स्रवण हेतु बिरोजा ब्लेजों के कम हस्तांतरण करने तथा बिरोजा नि:स्रवकों से पंजीकरण फीस की वसूली न करने के परिणामस्वरूप 1.78 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं की गई।

(परिच्छेद 5.2.23 एवं 5.2.24)

- निस्सारण के पश्चात बिक्री डिपुओं तक इमारती लकड़ी के परिवहन करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप इसका निम्नीकरण हुआ जिससे रॉयल्टी की दरों के निर्धारण करने में दुष्प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 6.38 करोड़ रू0 के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 5.2.27)

6. अन्य कर- कर भिन्न प्राप्तियां

➢ 33 उप पंजीयकों में, 137 मामलों में दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण तथा हस्तान्तरण प्रलेख में बाजारी मूल्य के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 57.81 लाख रू0 के स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 6.2 एवं 6.3)

➢ 20 सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डलों में 31 मार्च 2005 को 12.37 करोड़ रू0 के जल प्रभारों की वसूली रहती थी जिसके कारण उस सीमा तक के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 6.6)

पहला अध्याय: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2005-06 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर-भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों में राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े निम्नांकित हैं:-

(करोड़ रूपए)

क्र0सं0	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
I.	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व					
	• कर राजस्व	916.50	889.57	984.33	1,251.88	1,497.02
	• कर-भिन्न राजस्व	198.33	175.49	291.76	610.77	689.67
	योग	1,114.83	1,065.06	1,276.09	1,862.65	2,186.69
II.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघीय करों का राज्यांश	324.13	345.60	449.54	537.32	493.26[α]
	• सहायता अनुदान	2,276.84	2,248.09	2,255.29	2,234.54	3,878.67
	योग	2,600.97	2,593.69	2,704.83	2,771.86	4,371.93
III.	राज्य की कुल प्राप्तियां	3,715.80	3,658.75	3,980.92	4,634.51	6,558.62
IV.	I से III की प्रतिशतता	30	29	32	40	33

α विवरण के लिए कृपया वर्ष 2005-2006 के हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में "विवरणी संख्या 1।-लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे" देखें। क-कर राजस्व के अंतर्गत वित्त लेखों में पुस्तांकित आंकड़े मुख्य शीर्षों "0020-निगम कर"; "0021-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर" : "0028-आय तथा व्यय पर अन्य कर ; 0032-सम्पत्ति कर" ; 0037-सीमा शुल्क;" "0038-संघीय आबकारी शुल्क"; 0044-सेवा कर" तथा "0045-पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क"; तथा "901 राज्यों को सुपुर्द किए गए निवल आगमों का हिस्सा" के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए राजस्व से निकाल दिए गए तथा विभाज्य संघीय करों के राज्यांश में सम्मिलित किए गए हैं।

1.1.1 पिगत चार वर्षों के आंकड़ों सहित वर्ष 2005-06 के दौरान जुटाए गए कर-राजस्व के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-)की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	355.08	383.34	436.75	542.37	726.98	(+)34
2.	राज्य आबकारी	236.28	273.42	280.12	299.90	328.97	(+) 10
3.	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	34.27	37.40	52.37	75.34	82.43	(+) 9
4.	विद्युत कर व शुल्क	8.32	0.25	16.67	88.00	89.29	(+) 1
5.	वाहन कर	132.70	81.98	78.37	107.82	101.51	(-) 6
6.	माल व यात्री कर	34.27	31.45	33.96	38.32	42.61	(+) 11
7.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	63.73	77.13	86.98♣	97.54♦	124.10▲	(+) 27
8.	भू-राजस्व	51.85	4.60	0.84	2.30	1.09	(-) 53
	योग	916.50	889.57	986.06▲	1251.59♦	1,496.98♣	(+) 20

निम्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों में महत्वपूर्ण अन्तर था तथा उसके लिए सम्बद्ध विभागों द्वारा बताए गये कारण निम्नांकित थे:-

वृद्धि मुख्यत: वैल्यू एडिड टैक्स अधिनियम, 2005 को लागू करने, पैट्रोल प्राप्तियों, डीज़ल तथा विमान टरबाइन ईंधन में वृद्धि तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा सामग्री का अधिक आयात के कारण थी।

राज्य आबकारी: वृद्धि मुख्यत:. दो नई मद्यनिर्माणशालाओं को स्थापित करने, नीलामी धन में तीन प्रतिशत की वृद्धि, शराब की अधिक उपभोग के कारण थी।

यात्री एवं माल कर: वृद्धि सूत, लोहा तथा स्टील एवं प्लास्टिक सामान से अधिक आय तथा वाहन संख्या में वृद्धि के कारण थी।

पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क: वृद्धि मुख्यत: व्यावसायिक कर को लागू करने, टौल बैरियरों की नीलामी से प्राप्त बो.' धन तथा हिमाचल प्रदेश निश्चित माल (सड़क द्वारा लाया गया) तथा विलास कर अधिनियम के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

भू-राजस्व: कमी मुख्यत: भूमि पर उपकरों की दरों से कम प्राप्तियों तथा विविध प्राप्तियों के कारण थी।

♣ राज्य को नियत निवल प्राप्ति के भाग का 1.73 करोड़ रू० सम्मिलित है

♦ राज्य को निवल प्राप्ति के भाग का (-)0.29 करोड़ रू० निकाल कर

▲ राज्य को निवल प्राप्ति के भाग का (-)0.04 करोड़ रू० रू० निकाल कर।

1.1.2 विगत चार वर्षों के आंकड़ों सहित वर्ष 2005-06 के दौरान जुटाए गए मुख्य कर-भिन्न राजस्व के ब्योरे निम्नांकित हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-)की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियां	7.67	9.97	11.35	42.77	49.29	(+) 15
2.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	86.51	66.21	101.51	89.59	151.41	(+)69
3.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	28.98	31.52	76.93	102.17	149.63	(+) 46
4.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	32.97	35.46	36.84	38.42	42.90	(+)12
5.	विविध सामान्य सेवाएं (लाटरी प्राप्तियों सहित)	1.80	2.81	1.81	1.86	2.13	(+) 15
6.	विद्युत	7.13	(-)0.08	35.01	284.71	251.47	(-) 12
7.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	11.06	0.06	0.06	0.09	0.44	(+) 389
8.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	3.31	3.10	3.36	3.70	5.31	(+) 44
9.	सहकारिता	1.26	1.68	1.44	1.64	1.68	(+) 2
10.	लोक निर्माण कार्य	3.10	6.82	7.54	9.08	12.07	(+) 33
11.	पुलिस	7.57	7.87	8.08	7.74	8.98	(+) 16
12.	अन्य प्रशासकीय सेवाएं	6.97	10.07	7.83	29.00	14.36	(-)50
	योग	198.33	175.49	291.76	610.77	689.67	(+)13

निम्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों में महत्वपूर्ण अन्तर था उसके लिए सम्बद्ध विभागों द्वारा बताए गए कारण निम्नांकित थे:

वानिकी एवं वन्य प्राणी: वृद्धि हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम से अधिक रॉयल्टी की प्राप्ति के कारण थी।

अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग: वृद्धि मुख्यत: स्टोन क्रशर स्वामियों से रॉयल्टी की लम्बित राशि की अधिक वसूली, पंजीकरण फीस की अधिक प्राप्ति, शास्ति/जुर्माना अवैध खनन, खुदाई परिचालन के अंतर्गत प्राप्तियां तथा अन्य विविध प्राप्तियों के कारण थी।

विद्युत: कमी मुख्यत: जुलाई से अक्तूबर 2005 तक बाढ़ के कारण नाथपा झाकड़ी परियोजना की उत्पादन इकाइयों के बन्द रहने के परिणामस्वरूप सिल्ट/जल के संचय के कारण थी।

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई: वृद्धि मुख्यत: शाह नहर परियोजना तथा बल्ह घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना से किसानों को पानी की आपूर्ति के कारण अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: वृद्धि मुख्यत: औषधि विनिर्माताओं से प्राप्तियां, अधिक अदायगियों की वसूली, व्यर्थ सामग्री की नीलामी तथा निविदा फार्मों की बिक्री के कारण थी।

पुलिस: वृद्धि नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम, झाकड़ी से बकाया वसूलियों की प्राप्ति, बैंकों तथा अन्य विभाग/संगठनों को पुलिस आपूर्ति की लागत की प्रतिपूर्ति के कारण थी।

विचलनों के कारण अन्य विभागों से मांगने पर भी प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2006)।

1.2 बजट आकलनों व वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं

कर तथा कर-भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 हेतु बजट आकलनों व वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य विभिन्नता निम्नांकित है:-

(करोड़ रूपए)

क्रं0	राजस्व शीर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियां	विभिन्नताएं आधिक्य (+) अथवा कमी (-)	विभिन्नताएं प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	600.00	726.98	(+) 126.98	(+) 21
2.	राज्य आबकारी	315.00	328.97	(+)13.97	(+)4
3.	माल व यात्री कर	37.00	42.61	(+) 5.61	(+) 15
4.	वाहन कर	110.00	101.51	(-) 8.49	(-) 8
5.	पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	95.05	124.10[♣]	(+) 29.05	(+) 31
6.	स्टाम्प व पंजीकरण फीस	71.58	82.43	(+) 10.85	(+) 15
7.	विद्युत पर कर व शुल्क	35.15	89.29	(+) 54.14	(+) 154
8.	भू-राजस्व	2.18	1.09	(-)1.09	(-) 50
9.	उद्योग	5.54	24.13	(+) 18.59	(+) 336
10.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	56.00	149.63	(+) 93.63	(+) 167
11.	ब्याज प्राप्तियां	11.58	49.29	(+) 37.71	(+) 326
12.	शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति	24.14	41.64	(+) 17.50	(+) 72
13.	कृषि कर्म (बागवानी सहित)	4.48	8.40	(+) 3.92	(+) 87
14.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	36.04	42.90	(+) 6.86	(+) 19
15.	आवास	1.71	1.96	((+)0.25	(+)15
16.	मत्स्य पालन	0.91	0.74	(-)0.17	(-)19
17.	जलापूर्ति व स्वच्छता	9.70	13.00	(+) 3.30	(+) 34
18.	पुलिस	7.80	8.98	(+)1.18	(+)15
19.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	4.04	5.31	(+) 1.27	(+) 31
20	लेखन सामग्री व मुद्रण	1.70	3.76	(+) 2.06	(+) 121
21.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7.65	12.07	(+) 4.42	(+) 58
22.	पशुपालन	0.45	0.53	(+) 0.08	(+) 18
23.	विद्युत	232.00	251.47	(+) 19.47	(+) 8

♣ राज्य को निवल प्राप्ति के भाग का (-)0.04 करोड़ रू0 निकाल कर।

बजट आकलनों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य पाए गए विचलनों के संदर्भ में सम्बन्धित विभागों द्वारा बताए गए कारण निम्नांकित थे:

वाहन कर: कमी मुख्यत: विशेष पथकर की दरों के अधोमुखी संशोधन के कारण थी।

स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस: वृद्धि भूमि बाजार लागत में वृद्धि, भूमि सम्पत्ति की बिक्री, स्टाम्प की अधिक बिक्री तथा दस्तावेजो के अधिक पंजीकरण के कारण थी।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: वृद्धि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वर्ष 2005-06 में गत वर्ष की विद्युत शुल्क की बकाया राशि को जमा करने के कारण थी।

भू-राजस्व: कमी अचल भू-राजस्व, व्यर्थ भूमि की बिक्री आगम तथा अदल-बदल फीस की कम प्राप्तियों के कारण थी।

उद्योग: असाधारण वृद्धि लाइसैंस फीस की अधिक प्राप्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों से प्रीमियम, भारत सरकार से केन्द्रीय परिवहन उपदान प्राप्ति तथा अन्य विविध प्राप्तियों के कारण थी।

वानिकी एवं वन्य प्राणी: वृद्धि मुख्यत: परियोजना क्षेत्र में आए वृक्षों की लागत की प्राप्ति, क्षतिपूर्ति पौधरोपण के कारण प्राप्ति, जलागम क्षेत्र सुधार योजना के अंतर्गत अधिक प्राप्ति तथा निवल वर्तमान लागत के कारण थी।

मत्स्य: कमी गोबिन्दसागर तथा पौंगडैम जलाशय में मछली उत्पादन में कमी तथा परिणामत: मछली तथा मछली बीज की कम बिक्री के कारण थी।

जलापूर्ति एवं स्वच्छता: वृद्धि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पानी की दरों में बढ़ौतरी के कारण थी।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री: वृद्धि मुख्यत: लेखन वस्तुओं की बिक्री के कारण अधिक प्राप्ति, व्यर्थ सामग्री गत वर्षों की वसूलियों सहित मुद्रण सामग्री के कारण थी।

लोक निर्माण कार्य: वृद्धि मुख्यत: निक्षेप निर्माण कार्यों पर विभागीय प्रभारों की वसूली के कारण थी।

पशुपालन: वृद्धि मुख्यत: विभाग के विभिन्न कार्यालयों की अचल/चल सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त आय के कारण थी।

विचलनों के कारण अन्य विभागों से मांगने पर भी प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2006)।

1.3 संग्रहणों का विश्लेषण

वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य आबकारी की पूर्व-निर्धारण अवस्था तथा नियमित निर्धारण के उपरांत सकल वसूलियां, बिक्री तथा व्यापार कर, यात्री एवं माल कर तथा पदार्थों व सेवाओं पर अन्य करों व शुल्कों का

विखण्डन तथा आबकारी व कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत गत दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों का ब्यौरा निम्नांकित हैं:-

(करोड़ रूपए)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	पूर्व निर्धारण अवस्था पर संग्रहित राशि	नियमित निर्धारणोपरान्त संग्रहित राशि (अतिरिक्त मांग)	करों व शुल्कों के भुगतान में विलम्ब के लिए शास्तियां	प्रत्यर्पित राशि	निवल संग्रहण	कॉलम 7 के संदर्भ में 3 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य आबकारी	2003-2004	222.35	57.19	1.50	0.92	280.12	79
	2004-2005	299.15	..	1.12	0.37	299.90	100
	2005-2006	326.85	..	2.26	0.14	328.97	99
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	2003-2004	419.57	13.12	5.86	1.80	436.75	96
	2004-2005	520.14	15.40	8.11	1.28	542.37	96
	2005-2006	711.10	10.20	6.03	0.35	726.98	98
माल एवं यात्री कर	2003-2004	31.96	0.85	1.19	0.04	33.96	94
	2004-2005	35.44	1.58	1.30	*	38.32	92
	2005-2006	40.47	1.07	1.09	0.02	42.61	95
पदार्थों व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	2003-2004	81.41	5.53	0.05	0.01	86.98@	94
	2004-2005	97.02	0.89	0.08	0.16	97.54@	99
	2005-2006	120.53	3.56	0.05	..	124.10♣	97

उपर्युक्त से यह देखा जाएगा कि 2005-06 के दौरान पूर्व-निर्धारण अवस्था पर वसूल की गई राशि 95 से 99 प्रतिशत के मध्य थी।

1.4 संग्रहण लागत

2004-2005 की सकल वसूली की तुलना में सम्बन्धित व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता सहित 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 वर्षों के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों की सकल वसूलियां, उनकी वसूली पर किया गया व्यय तथा सकल वसूली के संदर्भ में ऐसे व्यय की प्रतिशतता निम्नांकित थी:-

(करोड़ रूपए)

क्र०	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2004-05 हेतु अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार ,आदि पर कर	2003-2004	436.75	6.60	1.51	0.95
		2004-2005	542.37	7.57	1.39	
		2005-2006	726.98	9.38	1.29	
2.	राज्य आबकारी	2003-2004	280.12	4.23	1.51	3.34
		2004-2005	299.90	4.19	1.39	
		2005-2006	328.97	4.24	1.29	
3.	वाहन, माल व यात्री कर	2003-2004	112.33	1.25	1.11	2.74
		2004-2005	146.14	1.27	0.87	
		2005-2006	144.12	1.28	0.89	
4.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	2003-2004	52.37	2.05	3.91	3.44
		2004-2005	75.34	2.02	2.68	
		2005-2006	82.43	1.22	1.48	

उपर्युक्त से देखा जाएगा कि बिक्री, व्यापार, आदि पर कर के अंतर्गत संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से अधिक थी।

---

* केवल 13,850 रू० ।

@ राज्य को आवंटित निवल के हिस्से के संदर्भ में प्राप्त 1.73 करोड़ रू० सम्मिलित हैं।

@ राज्य को आवंटित निवल के हिस्से के संदर्भ में प्राप्त (-)0.29 करोड़ रू० को निकालकर।

♣ राज्य को निवल प्राप्ति के भाग का (-) 0.04 करोड़ रू० निकाल कर।

1.5 प्रति निर्धारिती बिक्री कर संग्रहण

2001-02 से 2005-06 की अवधि के दौरान प्रति निर्धारिती बिक्री कर के संग्रहण का ब्योरे निम्नवत् है:-

(लाख रूपए)

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	बिक्री कर राजस्व	राजस्व/निर्धारिती
2001-2002	27,323	35,508	1.30
2002-2003	30,903	38,334	1.24
2003-2004	33,840	43,675	1.29
2004-2005	37,226	54,237	1.46
2005-06	39,486	72,698	1.84

यह देखा जाएगा कि 2005-06 के दौरान राजस्व में प्रति निर्धारिती 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.6 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2006 को राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के सम्बन्ध में बकाया राजस्व 396.96 करोड़ रू0 हो गया, जिसमें से 76.81 करोड़ रू0 पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसाकि निम्नवत् तालिका में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रूपए)

क्र0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2006 को बकाया राशि	31 मार्च 2006 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	अभ्युक्तियां
1.	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	100.00	24.61	बकाया 1968-69 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 100.00 करोड़ रू0 के बकायों में से 50.87 करोड़ रू0 की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित की गई थी। 2.21 करोड़ रू0 की वसूलियां उच्च न्यायालय/अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई। 4.87 करोड़ रू0 की मांगे बट्टे खाते में डाली जानी सम्भावित थी। 2.92 करोड़ रू0 की मांग बट्टे खाते में डाली जानी थी। 39.13 करोड़ रू0 के बकायों के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2006 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2006)।
2.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	75.22	23.13	बकाया 1949-50 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 75.22 करोड़ रू0 के बकायों में से बकाया राशियां ठेकेदार एजेन्सी: 3.89 करोड़ रू0; हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम: 71.26 करोड़ रू0 तथा शेष: 0.07 करोड़ रू0 अन्य सरकारी विभागों से सम्बन्धित थीं। वसूली करने हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2006 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई थी (सितम्बर 2006)।
3.	विद्युत पर कर व शुल्क	66.61	..	बकाया हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से वसूले जाने थे।
4.	वाहन कर	85.76	10.54	बकाया 1977 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2006 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई थी (सितम्बर 2006)।
5.	माल एवं यात्री कर	14.07	7.43	बकाया 1961-62 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 14.07 करोड़ रू0 के बकायों में से 2.62 करोड़ रू0 की मांगे भू-राजस्व की वसूली के रूप में प्रमाणित की गई थी। 0.29 करोड़ रू0 की वसूलियां उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 11.16 करोड़ रू0 के बकायों के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2006 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2006)।

क्र0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2006 को बकाया राशि	31 मार्च 2006 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	अभ्युक्तियां
6.	पुलिस	13.28	4.79	बकाया 1990-91 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 13.28 करोड़ रु0 के कुल बकायों में से बकाया राशियां भाखड़ा एवं ब्यास प्रबन्धन बोर्ड: 7.24करोड़ रु0; नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम: 0.84करोड़ रु0; रेलवे प्राधिकारी: 1.60 करोड़ रु0; नागरिक विमानन प्राधिकरण: 1.00 करोड़ रु0; यमुना हाईडल परियोजना खोदरी माबरी तथा भारतीय सीमेंट निगम, राजभन: 0.74 करोड़ रु0 और राष्ट्रीय जलविद्युत पॉवर निगम: 0.83 करोड़ रु0 से सम्बन्धित थीं। शेष 1.03 करोड़ रु0 अन्य* विभागों/संस्थाओं से सम्बन्धित थे। भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड तथा यमुना हाईडल परियोजना, खोदरी माबरी से सम्बद्ध बकायों की वसूली हेतु मामले भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत दायर किए गए थे। आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (सितम्बर 2006)।
7.	जलापूर्ति, स्वच्छता व लघु सिंचाई	23.63	0.89	बकाया 1963-64 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 23.63 करोड़ रु0 के बकायों में से 22.67 करोड़ रु0 नगर निगम, शिमला, नगरपालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों से सम्बन्धित थे। लघु सिंचाई एवं आवास (0.96 करोड़ रु0) से सम्बन्धित शेष बकाया क्रमशः जिलों के उपायुक्त तथा अधीक्षण अभियन्ताओं के माध्यम से वसूली योग्य थे। बकायों की सम्बन्धित अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2006 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2006)।
8.	राज्य आबकारी	5.28	3.91	बकाया 1972-73 तथा इससे आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 5.28 करोड़ रु0 के बकायों में से 3.94 करोड़ रु0 की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित की गई थीं। 0.01 करोड़ रु0 की वसूलियां उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी थी। 0.05 करोड़ रु0 की मांगे बट्टे खाते में डाली जानी थीं। 1.28 करोड़ रु0 के बकायों के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2006 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2006)।
9.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	3.89	0.05	बकाया 1989-90 तथा उससे आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 3.89 करोड़ रु0 के बकायों में से 1.25 करोड़ रु0 की मांगे भू-राजस्व की वसूली के रूप में प्रमाणित की गई थीं। 0.18 करोड़ रु0 की वसूलियां उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई। 2.46 करोड़ रु0 के बकायों के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2006 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2006)।
10.	उद्योग (ग्रामीण व लघु उद्योग सहित)	4.98	0.98	बकाया 1977-78 तथा उससे आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2006 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2006)।
11.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	2.69	0.08	बकाया 1970-71 तथा उससे आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2006 में पूछी गई थी, जिसे सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2006)।
12.	भू-राजस्व	0.77	प्रतीक्षित	अप्रैल 2006 में बकायों से सम्बन्धित अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2006)।
13.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0.55	0.40	बकाया 1997-98 से 2002-03 वर्षों से सम्बन्धित थे तथा निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला से वसूल किए जाने थे।
14.	लोक निर्माण कार्य	0.23	प्रतीक्षित	अप्रैल 2006 में बकायों से सम्बन्धित अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2006)।
	योग	396.96	76.81	

* आल इण्डिया रेडियो, इण्टेलीजेंस ब्यूरो, युनाईटिड कमर्शियल बैंक शिमला तथा रोहड़ू, पंजाब नैशनल बैंक, शिमला, मण्डी, किन्नौर तथा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला।

1.7 बकाया निर्धारण

वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित मामलों का ब्यौरा, वर्ष के दौरान निर्धारणार्थ देय मामले, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले तथा बिक्री कर, मोटर स्पिरिट कर, विलास कर तथा निर्माण कार्य संविदाओं पर कर के सम्बन्ध में बिक्री कर विभाग द्वारा यथा प्रस्तुत ऐसे मामले जिनका वर्ष के अंत में निपटान लम्बित था, निम्नांकित थे:-

राजस्व शीर्ष	अंथ शेष	वर्ष 2005-2006 के दौरान निर्धारणार्थ देय नये मामले	कुल देय निर्धारण	वर्ष 2005-2006 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्षान्त पर बकाया	कॉलम 4 के संदर्भ में 5 की प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	1,11,702	65,968	1,77,670	76,491	1,01,179	43
विलास कर	1,470	1,258	2,728	1,227	1,501	45
निर्माण कार्य संविदाओं पर कर	4,427	980	5,407	2,096	3,311	39
मोटर स्पिरिट कर	8	..	8	..	8	.

1.8 कर अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले तथा विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित अतिरिक्त कर की मांगों का ब्योरा निम्नांकित है:-

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2005 को लम्बित मामले	वर्ष 2005-2006 के दौरान पता लगाए गए मामले	जोड़	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित की गई अतिरिक्त मांग		31 मार्च 2006 को लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (लाख रू0)	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	84	6,032	6,116	6,045	276.06	71
2.	राज्य आबकारी	22	123	145	139	4.35	6
3.	यात्री एवं माल कर	1,040	4,481	5,521	4,611	60.12	910
4.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	10	2,252	2,262	2,252	97.80	10
	योग	1,156	12,888	14,044	13,047	438.33	997

1.9 प्रत्यर्पण

विभाग द्वारा यथा सूचित वर्ष 2005-06 के आरम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रत्यर्पण तथा वर्ष 2005-2006 की समाप्ति पर लम्बित मामले निम्नांकित हैं:-

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्षारम्भ पर बकाया दावे	16	0.22	..	..
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	19	0.36	3	0.14
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	14	0.35	3	0.14
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	21	0.23	..	..

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान बिक्री कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियों, अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच से 1,037 मामलों में 219.88 करोड़ रू0 की राशि के राजस्व का अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/हानि उद्घाटित हुई। वर्ष 2005-06 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 850 मामलों में 28.11 करोड़ रू0 के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किए जो कि पूर्ववर्ती वर्षो की लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

यह प्रतिवेदन कर, फीस, ब्याज तथा शास्ति, आदि के अनुद्ग्रहण, अल्पोद्ग्रहण से सम्बन्धित 58.32 करोड़ रू0 की एक समीक्षा सहित 28 परिच्छेदों से अन्तर्विष्ट है। विभाग/सरकार द्वारा 12.32 करोड़ रू0 की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली गई हैं, जिनमें से 0.28 करोड़ रू0 अगस्त 2006 तक वसूल किये जा चुके थे। अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.11 उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा सरकार के हितों की रक्षा करने में वरिष्ठ कर्मचारियों की विफलता

1.11.1 महालेखाकार (लेखापरीक्षा) निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन-देनों की नमूना जांच करने और महत्वपूर्ण लेखाकरण तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण करवाने की व्यवस्था करता है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा अनुसरण किया जाता है। जब निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई महत्वपूर्ण अनियमितताओं आदि का स्थल पर समायोजन नहीं किया जाता, निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं जिसकी प्रति अगले उच्चतर प्राधिकारियों को दी जाती है। सरकार के वित्तीय नियमों/आदेशों में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं तथा निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई कमियों, विसंगतियों, आदि के लिए उत्तरदायित्व की अनुपालना करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महालेखाकार द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की कार्यकारी द्वारा शीघ्र उत्तर देने का प्रावधान है। कार्यालयाध्यक्षों तथा उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों की अनुपालना करना तथा दोषों व चूकों को शीघ्र दूर करके उनकी अनुपालना से महालेखाकार को अवगत करवाना अपेक्षित है। महालेखाकार के कार्यालय द्वारा गम्भीर अनियमितताएं भी विभागाध्यक्षों के ध्यान में लाई जाती है। लम्बित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुश्रवण हेतु लम्बित प्रतिवेदनों का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन वित्तायुक्त एवं सचिव (वित्त) को भेजा जाता है।

1.11.2 31 दिसम्बर 2005 तक अंतिम तीन वर्षों के दौरान जारी राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या जो विभागों द्वारा 30 जून 2004, 30 जून 2005 तथा 30 जून 2006 को निपटानार्थ लम्बित थी, निम्नांकित है:-

विवरण	जून के अन्त में		
	2004	2005	2006
निपटानार्थ लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,933	2,836	3,052
बकाया लेखपरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	7,343	6,821	7,135
अन्तर्ग्रस्त राजस्व राशि (करोड़ रूपए)	341.52	318.50	278.05

1.11.3 30 जून 2006 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागवार विखण्डन निम्नांकित है:-

क्र० सं०	विभाग	बकाया संख्या		लेखापरीक्षा टिप्पणियों की राशि (करोड़ रूपए)	टिप्पणियों से सम्बन्धित वर्ष	उन निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनका अभी प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ।
		निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा टिप्पणियां			
1.	राजस्व	743	1,424	6.13	1977-78 से 2004-05 तक	47
2.	वन कृषि एवं संरक्षण	521	1,419	166.93	1970-71 से 2004-05 तक	15
3.	आबकारी एवं कराधान	776	1,945	62.66	1973-74 से 2004-05 तक	9
4.	परिवहन	516	1,499	25.73	1972-73 से 2004-05 तक	28
5.	अन्य विभाग (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, लोक निर्माण, कृषि, बागवानी, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा खनन)	496	848	16.60	1976-77 से 2004-05 तक	14
	योग	3,052	7,135	278.05		113

जुलाई 2005 में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का मामला सरकार के मुख्य सचिव के ध्यान में लाया गया था। यह सिफारिश की जाती है कि सरकार मामले की जांच करे तथा यह सुनिश्चित करे कि निम्नलिखित मामलों में प्रक्रिया विद्यमान है:

- जो कर्मचारी निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का उत्तर देने में विफल रहते हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई ;
- समयबद्ध ढंग से हानि वसूलने की कार्रवाई तथा ;
- विभाग में लेखापरीक्षा आपत्तियों का समुचित उत्तर सुनिश्चित करने हेतु पद्धति का संशोधन किया जाना।

1.12 विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें

हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्तियों पर निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र निपटान की दृष्टि से सरकार द्वारा वित्त विभाग की सिफारिशों पर विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया जाना था। इन समितियों की अध्यक्षता सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग के विशेष सचिव/अतिरिक्त/संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है और विभागाध्यक्ष/अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश से उप-महालेखाकार इसमें सम्मिलित होते हैं।

बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र निपटानार्थ यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समितियां वार्षिक रूप से बैठक करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अंतिम कार्रवाई कर ली गई है। वर्ष 2005-06 के लिए राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 10 सरकारी विभागों में से केवल एक (आबकारी एवं कराधान विभाग) ने लेखापरीक्षा समिति की बैठक करवाई तथा चार प्रशासकीय विभागों द्वारा समितियों के गठन को अधिसूचित नहीं किया गया। वन तथा परिवहन विभागों की वार्षिक बैठक से सम्बद्ध मामला पत्राचार के अंतर्गत था। अत: अधिकांश विभागों ने इस संबंध में कोई पग नहीं उठाए थे जबकि वित्त विभाग से इसके स्पष्ट निर्देश थे, जो उनकी लम्बित पुरानी आपत्तियों को कम करने में अरूचि को सूचित करती है।

1.13 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों का राज्य सरकार द्वारा उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि वे लेखापरीक्षा परिणामों की ओर ध्यान दें और उन्हें अपने उत्तर आठ सप्ताह के भीतर देने का अनुरोध किया जाता है। विभागों से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रत्येक परिच्छेद की समाप्ति पर निरन्तर सूचित किए जाते हैं।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन में सम्मिलित अठाईस प्रारूप परिच्छेदों (एक समीक्षा सहित) को सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के नाम से जनवरी तथा जुलाई 2006 के मध्य भेजा गया था। विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों ने 27 ड्राफ्ट परिच्छेदों के उत्तर स्मरण के जारी करने के बावजूद भी नहीं भेजे (जुलाई 2006)। इन परिच्छेदों को विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के बिना उत्तर के इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्य प्रणाली में निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई करेगा और उस पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां सरकार द्वारा समिति के विचारार्थ प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां अनियमित रूप से विलम्बित की जा रही थी। 31 मार्च 2001, 2002, 2003 तथा 2004, को समाप्त वर्षों हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्तियों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 153 परिच्छेदों(समीक्षाओं सहित) में से

तीन[@] विभागों से 43 परिच्छेदों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

1.15 स्वीकृत मामलों के राजस्व की वसूली

वर्ष 2000-01 तथा 2004-05 के मध्य विभाग/सरकार ने 63.98 करोड़ रू0 से सम्मिलित लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की जिसमें से 31 मार्च 2006 तक वसूल गई 54.51 करोड़ रू0 की राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रूपए)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	कुल मौद्रिक लागत	स्वीकार की गई मौद्रिक लागत	की गई वसूली
2000-01	47.03	5.51	0.61
2001-02	19.55	7.12	5.89
2002-03	80.37	6.04	44.54
2003-04	107.31	38.20	1.59
2004-05	54.39	7.11	1.88
योग	308.65	63.98	54.51

@ 2002-2003: वन कृषि एवं भू-संरक्षण।
2003-2004: वन कृषि एवं भू-संरक्षण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत, राजस्व।

दूसरा अध्याय: बिक्री कर

2.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में 46.23 करोड़ रू0 की राशि के कर के अल्प निर्धारण, शास्ति के अनुद्ग्रहण आदि से सम्बन्धित 212 मामले उद्घाटित हुए जो स्पष्टत: निम्नवत् श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र सं0	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	क्रय/विक्रय छिपाने के कारण कर का अपवंचन	43	0.44
2.	शास्ति/ब्याज का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण	10	0.05
3.	कर का अवनिर्धारण	117	19.06
4.	अन्य अनियमितताएं	41	2.38
5.	भू-राजस्व बकाया के रूप में संग्रहण हेतु लम्बित देयताएं	1	24.30
	योग	212	46.23

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 74 मामलों में 1.73 करोड़ रू0 के अवनिर्धारण स्वीकार किए जो कि पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

प्रारूप परिच्छेद जारी करने के पश्चात् वर्ष 2005-06 के दौरान केवल एक टिप्पणी से सम्बन्धित 19.80 लाख रू0 वसूल किए।

2.78 करोड़ रू0 के वित्तीय प्रभाव से युक्त महत्वपूर्ण टिप्पणियां दर्शाने वाले कुछ उदाहरणार्थ मामले निम्नांकित परिच्छेदों में दिए गए हैं।

2.2 भू-राजस्व बकाया के रूप में संग्रहण हेतु लम्बित सरकारी देयतायें

परिचय

2.2.1 आबकारी एवं कराधान विभाग अपने विभाग से सम्बन्धित देयताओं की वसूली हेतु उत्तरदायी है। यद्यपि इस प्रकार की देयताएं विभाग द्वारा वसूल नहीं की जा सकती हों तो ऐसी देयताओं को राज्य के अपने समाहर्ता द्वारा शासित भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित किया जाता है। तथापि समाहर्त्ता की शक्तियों को दिसम्बर 1990 तथा जनवरी 1993 में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभागीय अधिकारी को सौंप दी गई थी। भू-राजस्व बकाया के रूप में समाहर्त्ता के पास वसूली हेतु लम्बित बकाया मामलों को स्वयं विभाग द्वारा निकाले गए बकायों के अन्य मामलों सहित वसूली करने के लिए सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त को वापस कर दिया था। राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर अन्य जिलों से सम्बन्धित भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु मामले सम्बद्ध जिला के समाहर्त्ताओं अथवा उस राज्य के सम्बद्ध जिला के समाहर्त्ता को भेजे जा रहे थे।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूलियां निम्नवत् प्रक्रियाओं में से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं अपनाने के द्वारा की जा सकती है:-

- चूककर्ता पर मांग की याचिका* दायर करना;
- व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा नजरबन्दी;
- उसकी चल सम्पत्ति को छुड़वाना तथा न कटी हुई अथवा इक्ट्ठी न की गई फसलों की बिक्री करना;
- देय बकाया के संदर्भ में जोत-क्षेत्र का स्थानान्तरण;
- देय बकाया के संदर्भ में सम्पदा अथवा जोत क्षेत्र की जब्ती;
- सम्पदा अथवा जोत-क्षेत्र के निर्धारण का निराकरण;
- उस सम्पदा अथवा जोत-क्षेत्र की बिक्री;
- चूककर्ता की अन्य अचल सम्पत्ति के प्रति प्रक्रिया।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.2.2 राज्य में 11 जिला कार्यालय हैं। 2000-2001 से 2004-2005 की अवधि हेतु 10* जिलों के भू-राजस्व बकाया के रूप से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जांच से निम्नवत् उद्घाटित हुआ।

लम्बन की स्थिति सहित वसूल/रद्द की गई मांग

2.2.3 प्रत्येक सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा आबकारी एवं कराधान आयुक्त को प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदन में लम्बित सरकारी देयताओं के अंतिम रूप की अवस्थाओं को दर्शाना अपेक्षित था।

---

* "दस्तक" के रूप में जाना जाने वाला; यह तकाजे से थोड़ा अधिक होता है और बकाया राशि को दर्शाता है तथा निदेशित व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

* बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त को प्रत्येक सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के अवलोकन से उद्घाटित हुआ कि 713 मामलों में 73.92 करोड़ रू0 की सरकारी देयताओं को 2000-2001 से 2004-2005 के दौरान भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित किया गया था जिसमें से विभिन्न जिलों में 57.99 करोड़ रू0 से अन्तर्ग्रस्त 573 मामले निपटानार्थ लम्बित पड़े थे, जैसा कि नीचे ब्योरा दिया गया है:

(रकम रूपए)

क्रं0	जिले का नाम	1.4.2000 को अवशेष	अन्तिम पांच वर्षों के दौरान परिवर्धन (2000-01 से 2004-05)	योग	बकायों की अवधि	वसूल की गई मांग राशि	रद्द[Ψ] की गई मांग की राशि	31.3.2005 को शेष
		मामले/राशि	मामले/राशि	मामले/राशि		मामले/राशि	मामले/राशि	मामले/राशि
1.	बिलासपुर	12/1.83	46/93.11	58/94.94	1983-84 तथा 2003-04 के मध्य	23/14.03	10/21.78	25/59.13
2.	चम्बा	01/0.15	05/4.42	6/4.57	1982-83 तथा 1999-2000 के मध्य	01/0.77	..	5/3.80
3.	हमीरपुर	..	38/60.05	38/60.05	1990-91 तथा 2001-02 के मध्य	08/0.85	01/0.89	29/58.31
4.	कांगड़ा	34/80.70	15/30.89	49/111.59	1985-86 तथा 2001-02 के मध्य	11/20.05	..	38/91.54
5.	कुल्लू	13/6.16	15/131.71	28/137.87	1981-82 तथा 2003-04 के मध्य	15/31.75	01/12.84	12/93.28
6.	मण्डी	15/47.51	11/121.08	26/168.59	1996-97 तथा 2003-04 के मध्य	07/44.44	01/14.06	18/110.09
7.	शिमला	12/47.38	63/657.01	75/704.39	1987-88 तथा 2003-04 के मध्य	03/215.54	..	72/488.85
8.	सिरमौर	47/73.56	35/933.10	82/1,006.66	1977-78 तथा 2003-04 के मध्य	08/77.04	04/192.26	70/737.36
9.	सोलन	149/672.43	87/3432.62	236/4,105.05	1980-81 तथा 2001-02 के मध्य	26/265.61	10/224.02	200/3615.42
10.	ऊना	..	115/998.48	115/998.48	1978-79 तथा 2001-02 के मध्य	03/376.49	08/80.44	104/541.55
	योग	283/929.72	430/6,462.47	713/7,392.19 अर्थात् 73.92 करोड़ रू0		105/1,046.57 अर्थात् 10.47 करोड़ रू0	35/546.29	573/5,799.33 अर्थात् 57.99 करोड़ रू0

उपरोक्त से यह देखा जाएगा कि वसूली की स्थिति कुल भू-राजस्व बकाया मामलों की 14 प्रतिशत थी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने जून 2006 में प्रतिवेदित किया कि वसूली का वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। समाहर्त्ता/सहायक समाहर्त्ता के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने वाले प्राधिकारियों द्वारा मामलों को अंतिम रूप से निपटाने हेतु कोई मानक नहीं बनाए गए थे।

Ψ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को पुन: निर्धारण हेतु मामले लौटा दिए थे। उसके पश्चात् बकायों को खत्म कर दिया गया है। पुन: निर्धारण से सम्बन्धित आगामी सूचना उपलब्ध नहीं थी। जिला किन्नौर में कोई बकाया नहीं था।

राज्यीय तथा अन्तर्राज्यीय स्थानांतरण के मामले

2.2.4 ऐसे मामले जिनमें चूककर्ता एक जिले दूसरे जिले को जा चुका हो, जिला समाहर्त्ता के माध्यम से सम्बन्धित जिले को स्थानांतरित किये जाने अपेक्षित थे।

सम्बद्ध जिला समाहर्त्ताओं के अभिलेखों के साथ पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से प्राप्त सूचना के प्रति-सत्यापन से उद्घाटित हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 28.53 करोड़ रू0 के सरकारी राजस्व से अन्तर्ग्रस्त 57 भू-राजस्व बकाया मामलों को जिला में जिला समाहर्त्ता को आगामी स्थानान्तरण हेतु भेजे जिसमें चूककर्ताओं ने व्यापार को बदल दिया था। इनके प्रति, जिला समाहर्त्ताओं ने अपने अभिलेखों में 10.74 करोड़ रू0 से अन्तर्ग्रस्त 63 भू-राजस्व बकाया मामले दिखाये। अत: 17.79 करोड़ रू0 से अन्तर्ग्रस्त विसंगति के छ: मामलों को ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं0	जिले का नाम	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय के अनुसार आंकड़े		जिला समाहर्ता कार्यालय के अनुसार आंकड़े	
		मामलों की संख्या	राशि (लाख रूपए में)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रूपए में)
1.	शिमला	..	..	1	2.36
2.	कांगड़ा	5	20.75	2	1.89
3.	सिरमौर	32	325.04	4	26.91
4.	सोलन	20	2,507.68	39	547.58
5.	उना	..	..	17	495.08
	योग	57	2,853.47	63	1,073.82

यह भी देखा गया कि इन मामलों से सम्बद्ध न तो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय अथवा जिला समाहर्त्ता कार्यालय में अलग से रजिस्टर का अनुरक्षण किया गया था। परिणामत: नियंत्रण अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की जा सकी। यह सिफारिश की जाती है कि रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाए तथा उपरोक्त विसंगति का समाधान किया जाए।

2.2.5 यह देखा गया कि 31 मार्च 2005 को भू-राजस्व बकाया रजिस्टर में दर्शाए गए 0.71 करोड़ रू0 के प्रति 0.48 करोड़ रू0 के चार भू-राजस्व बकाया मामले सहायक आकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त को प्रतिवेदित किए। इस प्रकार, 0.23 करोड़ रू0 की विसंगति थी। एक अन्य मामलें में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर ने भू-राजस्व बकाया के रूप में अक्तूबर 2001 में 7.31 लाख रू0 घोषित किए, जिसके प्रति आबकारी एवं कराधान आयुक्त को प्रस्तुत बकाया विवरणों में 5.62 लाख रू0 दर्शाए गए जिससे 1.69 लाख रू0 कम प्रतिवेदित किए। विसंगतियों के समाधान की आवश्यकता है।

आंतरिक नियंत्रण

2.2.6 मांग रजिस्टर

भू-राजस्व बकाया मामलों का एक मांग रजिस्टर नामत: "चालू रजिस्टर" प्रत्येक समाहर्त्ता कार्यालय में भू-राजस्व बकाया की वसूली हेतु प्राप्त मामलों के विस्तृत विवरण को देखने हेतु अनुरक्षित किया जा रहा था।

10 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[Ψ] के अभिलेखों की नमूना-जांच से उदघाटित हुआ कि यद्यपि भू-राजस्व बकाया मामलों के रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा था परन्तु विवरण जैसे कि पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या, आदेश तिथि, अतिरिक्त मांग, शास्ति, ब्याज, भू-राजस्व बकाया को घोषित करने से पूर्व की गई कार्रवाई का संक्षिप्त हवाला अर्थात शास्ति, जमानत के प्रति कार्रवाई इत्यादि, दिनांक तथा अन्य विवरण के साथ, प्रगति की तिथि अर्थात व्यापारियों के परिसरों में यात्रा की तिथि, सम्बन्धित रजिस्टरों के कॉलमों में दर्ज नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त रजिस्टरों की इनके अनुरक्षण हेतु जिम्मेवार कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा संवीक्षा नहीं की गई थी। इस प्रकार, रजिस्टर के अनुरक्षण का मूल उद्देश्य अपूर्ण रहा।

2.2.7 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध

आबकारी एवं कराधान विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध एक उप-नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), एक सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) तथा छः अनुभाग अधिकारियों से समाविष्ट है जो वित्त विभाग के नियंत्रण के अधीन काम कर रहा है।

10[Ψ] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा भू-राजस्व बकाया मामलों की जांच नहीं की गई थी। अप्रैल 2006 में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने यह भी सूचित किया कि उन्होंने इन मामलों का अनुश्रवण नहीं किया था।

अन्य राज्यों में रह रहे चूककर्त्ताओं से सम्बन्धित भू-राजस्व बकाया मामलों की वसूली न करना

2.2.8 राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत जब किसी ऐसे चूककर्ता द्वारा भू-राजस्व बकाया के रूप में राशि समाहर्त्ता को भुगतानयोग्य होती है जिसमें प्रान्त छोड़ दिया हो तो समाहर्त्ता चूककर्ता के निवासीय जिले के समाहर्त्ता को उसी प्रकार भू राजस्व बकाया वसूल करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा जैसे कि यह भू-राजस्व बकाया उसके अपने क्षेत्राधिकार में घटित हुआ है।

Ψ बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

विश्लेषण के कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:-

जिला का नाम	भू-राजस्व बकाया मामलों की संख्या	राशि (लाख रूपए)	अवधि जिससे सम्बन्धित है।	भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित करने की तिथि	अभ्युक्तियां
सोलन	7	127.00	1978-79 से 1997-98	2000-01 तथा 2003-04 के मध्य	ये मामले जिला समाहर्ता द्वारा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन को अक्तूबर 2004 में इस टिप्पणी सहित वापस किए गए कि दिल्ली स्थित सम्बन्धित समाहर्ता जिनके क्षेत्राधिकार में चूककर्ता आते थे के पते को सुनिश्चित किया जाए ताकि दिल्ली में सम्बन्धित समाहर्ता को अवसूली प्रमाणपत्र जारी किये जा सके। एक मामले में, अवधि जिससे वसूली सम्बन्धित थी, से भी विभाग को अवगत नहीं कराया गया। आवश्यक सूचना सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा जिला समाहर्ता को प्रस्तुत नहीं की गई।
सिरमौर	10	46.70	2000-01 से 2003-04	जून 2000 तथा मार्च 2004 के मध्य	ये मामले उन चूककर्ताओं से सम्बन्धित हैं जो राज्य को छोड़ चुके हैं परन्तु सहायक आबकारी एवं कराधान अधुक्त, सिरमौर द्वारा जिला समाहर्ता, सिरमौर को वसूली की कार्रवाई करने हेतु भेजे हैं।
सिरमौर	1	199.00	1989-90 से 1992-93	जुलाई 2001	राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत राज्य के बाहर रह रहे एक फर्म के तीन चूककर्ता निदेशकों से राशि की वसूली हेतु नवम्बर 2001 में समाहर्ता सिरमौर ने मामला उनके कार्डटपार्ट चण्डीगढ़, नई दिल्ली तथा जालंधर के साथ उठाया था। न तो अन्य राज्य के समाहर्ताओं ने वसूली की प्रगति की सूचना दी और न ही सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा जिला समाहर्ता द्वारा इनका अनुसरण किया गया था।
सिरमौर	1	20.04	1991-92 से 1999-2000	फरवरी 2002	क्योंकि व्यापारी राज्य छोड़ गया था। इसलिए जून 2000 में वसूली न करने का प्रमाणपत्र जारी किया था। जुलाई 2002 में समाहर्ता, यमुनानगर द्वारा राशि की वसूली हेतु समय-समय पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराने के विषय में प्रमाण मांगा था। समाहर्ता यमुनानगर द्वारा की गई यह कार्रवाई बेकार थी क्योंकि वसूली के सभी उपाय करने के पश्चात् अवसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया था। इस तथ्य को समाहर्ता जिला सिरमौर द्वारा विवेचना नहीं की गई थी। विभाग द्वारा कोई भी आगामी कार्रवाई नहीं की गई थी।
सिरमौर	1	11.80	1988-89 से 1991-92	अप्रैल 2001	समाहर्ता, सिरमौर में सितम्बर 2001 में जिला समाहर्ता, यमुनानगर को अवसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया। तहसीलदार, जगाधरी से (समाहर्ता, यमुनानगर के क्षेत्राधिकार में) प्राप्त अवसूली प्रमाणपत्र पर प्रतिवेदन के अनुसार फर्म के तीन निदेशकों में से एक निदेशक के पास आवास गृह था जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम के पास रहन था। आबकारी एवं कराधान अधुक्त ने दिसम्बर 2004 में हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के साथ विभाग के हिस्से को अनुमत करने के लिए मामला उठाया था। मामले की नवीनतम स्थिति से विभाग को (मार्च 2006) अवगत नहीं कराया गया था। शेष दो निदेशकों का अता-पता मालूम नहीं था। विभाग द्वारा चूककर्ताओं को ढूंढने के लिए तथा मामले को हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम के साथ अनुसरण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।
योग	20	404.54 अर्थात् 4.05 करोड़ रू0			

भू-राजस्व बकाया के रूप में बकायों को कम घोषित करना

2.2.9 राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अनुसार सरकार को चूककर्ता द्वारा सभी भुगतानयोग्य देयताओं के लिए बकाया प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

चार जिलों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 12 मामलों में मई 1986 तथा जुलाई 2004 के बीच की अवधि के लिए भू-राजस्व बकया के रूप में बकायों को घोषित करते समय चूककर्तासे ब्याज के 1.64 करोड़[@] रू0 देय थे। उपरोक्त को बकाया प्रमाणपत्र में शामिल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक सरकारी राजस्व को कम घोषित किया गया।

2.2.10 एक अन्य मामले में जिला सोलन के नालागढ़ में 11 जुलाई 2003 को 1995-96 से 2002-03 की अवधि के भू-राजस्व बकाया के रूप में 1.14 करोड़ रू0 घोषित किए गए थे। आबकारी एवं कराधान अधिकारी, नालागढ़ ने नवम्बर 2004 में 1.78 करोड़ रू0 का पुन: निर्धारण किया तथा भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूलीयोग्य कुल बकाया 2.69 करोड़ रू0 निकाला गया। आबकारी एवं कराधान अधिकारी, नालागढ़ ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन से फरवरी तथा अप्रैल 2005 में अनुरोध किया कि भू-राजस्व बकाया के रूप में 1.55 करोड़ रू0 को अतिरिक्त बकाया घोषित करें तथापि इसे बकाया के रूप में घोषित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप भू-राजस्व बकाया को उस सीमा तक कम घोषित किया गया।

जब्त सम्पत्ति की नीलामी न करना

2.2.11 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मांग याचिका दायर करने के बाद यदि भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित बकाया का चूककर्ता द्वारा भुगतान न किया गया हो तो सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा चूककर्ता की सम्पत्ति को जब्त किया जा सकता है।

आठ जिलों में 18 चूककर्ताओं की सम्पत्ति नीलामी हेतु जब्त की गई थी। परन्तु इनकी नीलामी की अनुमति, जैसा कि नियमों में प्रावधान था, सम्बद्ध मण्डलीय आयुक्तों से प्राप्त नहीं की गई थी। इसके फलस्वरूप 19.93 करोड़ रू0[⊗] के सरकारी राजस्व की अवसूली हुई जैसाकि निम्नवत् है:-

(करोड़ रूपए)

जिला/सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त का नाम	मामलों की संख्या	अनियमितता का स्वरूप	राशि
बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, सोलन तथा ऊना	16	सम्पत्ति जून 2001 तथा सितम्बर 2004 के बीच की अवधि में जब्त कर दी थी। परन्तु सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा नीलामी हेतु मण्डलीय आयुक्त से अनुमति लेने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।	1.32
सोलन	1	मामला सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन द्वारा मण्डलीय आयुक्त शिमला में तीन बार भेजा गया था। दो अवसरों पर अर्थात मई 2004 तथा जनवरी 2005 में मण्डलीय आयुक्त ने मामले को वापस भेज दिया था क्योंकि मामला अपूर्ण पाया गया। मामला अंतिम रूप से मई 2005 में मण्डलीय आयुक्त को भेजा गया था परन्तु नीलामी की अनुमति अभी तक प्रतीक्षित है।	17.96
शिमला	1	मामला जुलाई 2001 में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला द्वारा मण्डलीय आयुक्त शिमला को सम्पत्ति की बिक्री हेतु भेजा गया था तथापि अपूर्ण पाया गया और पांच अवसरों पर वापस किया गया। इनमें अंतिम अवसर दिसम्बर 2004 का था। मामला सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पास लम्बित पड़ा है।	0.65
योग	18		19.93

@ बिलासपुर: एक मामला: 0.01 करोड़ रू0: कांगड़ा: चार मामले: 0.16 करोड़ रू0 मण्डी: एक मामला: 0.03 करोड़ रू0 तथा सोलन: छ: मामले: 1.44 करोड़ रू0।

⊗ बिलासपुर: एक मामला: 0.06 करोड़ रू0, हमीरपुर: दो मामले: 0.06 करोड़ रू0, कांगड़ा, चार मामले: 0.45 करोड़ रू0, कुल्लू: एक मामला: 0.12 करोड़ रू0, शिमला: एक मामला: 0.65 करोड़ रू0, सिरमौर: एक मामला: 0.40 करोड़ रू0 सोलन: दो मामले: 18.01 करोड़ तथा ऊना छ: मामले:0.18 करोड़ रू0

वसूली की पालना न करना

2.2.12 1991-92 से 1992-93 वर्षों हेतु मार्च 1994 में निर्धारण किए गए सोलन जिले के एक व्यापारी को 5.12 लाख रू0 के बिक्री कर की अदायगी करनी थी। बकाया मई 2004 में भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित किया गया था। मांग याचिका जून 2004 में दायर की गई थी जो व्यापारी को तामील नहीं करवाई जा सकी क्योंकि वह पहले ही अपने व्यावसायिक परिसर को बेच चुका था तथा उसका वर्तमान पता मालूम नहीं था। यद्यपि व्यापारी ने पंजीकरण के समय 0.35 लाख रू0 की प्रतिभूति दी तथा 0.15 लाख रू0 सावधि जमा करवाए थे। न ही प्रतिभूति की मांग की गई और न ही सावधी जमा की राशि का नकदीकरण किया गया। विभाग ने चूककर्ता को ढूंढने के प्रयास नहीं किए। इस प्रकार, 5.12 लाख रू0 के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हो पाई।

अपर्याप्त कार्रवाई के कारण लम्बित बकाया

2.2.13 चार जिलों के नौ मामले में 1984-85 से 2002-03 की अवधि से सम्बन्धित बिक्री कर, यात्री एवं माल कर बकायों को जुलाई 2001 तथा अप्रैल 2004 के बीच भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित किया गया था। तथापि विभाग ने वसूली हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए जैसा कि नीचे ब्योरा दिया गया है:-

जिले का नाम	मामलों की संख्या	राशि (लाख रूपए)	अवधि जिससे सम्बन्धित है/ निर्धारण की तिथि	मास जिसमें भू-राजस्व बकाया घोषित हुआ	अभ्युक्तियां
कुल्लु यात्री एवं माल कर	एक	16.30	1994-95 से 1999-2000/लागू नहीं	अक्तूबर 2001	चूककर्ता को जारी किए गए नोटिस पांच बार बिना सुपुर्द किस वापस आ गए क्योंकि चूककर्ता उपलब्ध नहीं हो रहा था। अभिलेख में ऐसा दर्शाने वाला कुछ नही था कि नोटिस की प्रति उस सम्पति जिससे यह सम्बन्धित थी, के सपीप विशेष स्थान पर चिपका दी गई जैसा कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 5 के अंतर्गत अपेक्षित था। न तो प्रतिभूतियां लागू की गई थी और न ही विभाग ने सम्पति को जब्त करने हेतु कार्रवाई की।
कांगड़ा बिक्री कर	एक	0.93	1995-96/ 30.08.2000	जून 2002	अप्रैल 2002 में 0.93 लाख रू0 के कुल बकाया में से 0.20 लाख रू0 की राशि वसूल कर ली थी। विभाग द्वारा सम्पति आदि की वसूली हेतु शेष राशि जब्त करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
-तदैव-	एक	1.88	1994-95 से 1996-97/ 15.06.96 तथा 12.11.99	अगस्त 2001	चूककर्ता ने 0.20 लाख रू0 मार्च 2004 में जमा करवा दिए तथा बकाया राशि को जुलाई 2004 में अदा करने का वादा किया, परन्तु वह उपरोक्त राशि को जमा करने में विफल रहा। पालमपुर में उसके पास अचल सम्पत्ति के रूप में भूमि तथा भवन थे, परन्तु विभाग द्वारा उपरोक्त सम्पति को जब्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जिले का नाम	मामलों की संख्या	राशि (लाख रूपए)	अवधि जिससे सम्बन्धित हैं/ निर्धारण की तिथि	मास जिसमें भू-राजस्व बकाया घोषित हुआ	अभ्युक्तियां
हमीरपुर यात्री एवं माल कर	एक	3.26	1997-98 से 1999-2000/ 31.08.2000	जुलाई 2001	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने अक्तूबर 2001 में तहसीलदार, जैसिंहपुर को सम्पत्ति के जब्त करने हेतु आग्रह किया था। तथापि, सम्पत्ति जब्त नहीं की गई । आगे यह देखा गया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार को अनुस्मारक नहीं भेजा गया था। अनुसरण के अभाव के परिणामस्वरूप सम्पत्ति जब्त नहीं हुई (अप्रैल 2006)।
सोलन बिक्री कर	एक	0.27	1984-85 तथा 1985-86/ 31.03.1990	अप्रैल 2004	बकाया को 14 वर्षों के बाद भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित किया गया जबकि न केवल व्यापारी बल्कि उसका प्रतिभूति भी अपना व्यापार पहले ही बन्द कर चुके थे जैसाकि फरवरी 2004 में आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने सूचित किया।
सोलन यात्री एवं माल कर	एक	2.52	1998-99 से 1999-2000/ 18.07.2000	दिसम्बर 2001	मांग याचिका दिसम्बर 2001 में जारी की गई थी। उसके बाद, मार्च 2002 में प्रतिभूतियों तथा को अगस्त 2003 में चूककर्ता को वसूली हेतु नोटिस जारी किये गए थे। चूककर्ता की सम्पत्ति चिन्हित नहीं की गई तथा सम्बन्धित तहसीलदार को चूककर्ता की सम्पत्ति के बारे में पता लगाने हेतु संदर्भ नहीं किया गया था।
तदैव बिक्री कर	एक	27.62	1991-92 से 1993-94/लागू नहीं	सितम्बर 2001	मांग याचिका सितम्बर 2001 में जारी की गई थी। मामला उसके बाद जारी नहीं रखा गया था।
-तदैव-	एक	39.41	1996-97 से 2002-03/लागू नहीं	अक्तूबर 2003	बकाया को अक्तूबर 2003 में भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित किया था। तथापि, घोषणा के समय महत्वपूर्ण प्रलेख जैसे जमाबन्दी, ततीमा* विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे क्योंकि मांगे गए ये प्रलेख सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा आपूरित नहीं किए गए थे।
-तदैव-	एक	25.95	1989-90 से 1994-95/लागू नहीं	अक्तूबर 2001	चूककर्ता को अंतिम नोटिस फरवरी 2001 में जारी किया गया था। व्यापारों द्वारा व्यवसाय को बन्द कर दिया गया बताया गया था तथा राज्य को छोड़ कर लुधियाना रहने देने की सूचना दी गई। प्रतिभूतिकर्ताओं ने भी अपना व्यवसाय बन्द कर दिया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि अवसूली प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उक्त मामला सम्बन्धित सोलन को नहीं भेजा गया था।

उपरोक्त मामलों में विभाग द्वारा अपर्याप्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप 1.18 करोड़ रू0 के भू-राजस्व बकाया की वसूली नहीं हो पाई।

* विशेष भूमि का नक्शा

निष्कर्ष

2.2.14 विभाग ने समाहर्ता/सहायक समाहर्त्ता के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने हेतु किसी प्राधिकारी के लिए भू-राजस्व बकाया मामलों को अंतिम रूप देने हेतु मानक निर्धारित नहीं किए थे। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा जिला समाहर्त्ताओं के कार्यालय के मध्य अन्य राज्य के समाहर्त्ताओं को भेजे गए भू-राजस्व बकाया मामलों का मिलान करने हेतु कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की क्रियाविधि विभाग में विद्यमान नहीं थी।

ये तथ्य विभाग तथा सरकार को मई 2005 तथा मार्च 2006 के बीच प्रतिवेदित किये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2006)।

2.3 विनिर्माण इकाईयों पर कर का अल्पोद्ग्रहण

जनवरी 1997 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार औद्योगिक इकाइयों द्वारा विनिर्मित किए तथा बेचे गए सामान के सम्बन्ध में एक प्रतिशत की दर से बिक्री कर उद्ग्राह्य था। तथापि, उन वस्तुओं पर, जो कि विनिर्माण से सम्बन्धित नहीं है, हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम में निर्धारित दरों पर कर देय था। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि टायरों की रिट्रीडिंग* को विनिर्माण नहीं माना जाता क्योंकि इससे किसी भी नये एवं पृथक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है।

दो♣ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान सितम्बर 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य पाया गया कि टायर रीट्रिडिंग कार्य में लगी दो इकाईयों को 2001-02 से 2003-04 वर्षों के दौरान उन्हें विनिर्माण इकाइयों के रूप में मानते हुए गलत रूप से कर की दर में रियायत दी गई। क्योंकि टायरों की रीट्रिडिंग हेतु सामग्री रबड़ के रूप में स्थानांतरित की गई थी, जिस पर आठ प्रतिशत की दर से बिक्री कर उद्ग्राहय था। कर की दर में रियायत देने के फलस्वरूप ब्याज सहित 4.44 लाख रू0 के बिक्री कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

मामला विभाग तथा सरकार को अक्तूबर 2005 तथा अप्रैल 2006 के बीच प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2006)।

2.4 कर की गलत छूट/रियायती दर की अनुमति

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत, फलोर मिलें बिक्री कर प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं हैं। राज्य सरकार ने अगस्त 1995 में स्पष्ट किया था कि "रोलर फलोर मिलों" को "फलोर मिलों" की व्यापक परिभाषा में शामिल किया गया था तथा बिक्री कर प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यदि एक व्यापारी देय कर को निर्धारित तिथि तक भुगतान करने में विफल रहता है तो वह निर्धारित दरों पर ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी है।

---

* तमिलनाडू राज्य परिवहन निगम लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (1999)239 आई टी आर 375

♣ चम्बा तथा हमीरपुर

2.4.1 दिसम्बर 2005 में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक फलोर मिल व्यापारी जो गेहूं उत्पादों अर्थात् आटा, मैदा, सुजी, इत्यादि के विनिर्माण हेतु उद्योग विभाग में पंजीकृत था, ने मार्च 1994 से उत्पादन शुरू किया। जनवरी 2005 में निर्धारण प्राधिकारी ने 2001-02 तथा 2002-03 वर्षों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय 16.15 करोड़ रू0 के कर को बिक्री छूट मानते हुए, कर के उद्ग्रहण में गलत बिक्री छूट प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप 56.53 लाख रू0 के बिक्री कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ब्याज के 30.69 लाख रू0 भी उद्ग्राह्य थे।

मामला विभाग तथा सरकार को जनवरी 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2006)।

2.4.2 हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत परिष्कृत तथा पिसाई इकाईयां बिक्री कर प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं है। विभाग द्वारा 16 फरवरी 1999 में जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हल्दी तथा मसालों की पिसाई विनिर्माण में नहीं आती परन्तु केवल मात्र एक प्रक्रिया है, इस प्रकार हल्दी तथा मसालों से सम्बन्धित इकाईयों को कर की रियायती दर स्वीकार्य नहीं है। हल्दी तथा मसाले चार प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं।

दिसम्बर 2005 में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि चार[#] व्यापारियों का जो हल्दी तथा मसालों की पिसाई तथा उनकी बिक्री करते थे, निर्धारण प्राधिकारियों ने दिसम्बर 2001 तथा मार्च 2005 में 1997-98 से 2002-03 वर्षों का निर्धारण किया। निर्धारण प्राधिकारियों ने 3.43 करोड़ रू0 की कर योग्य आय पर एक प्रतिशत की रियायती दर से गलत छूट प्रदान की।

इसके परिणामस्वरूप 3.43 करोड़ रू0 के बिक्री मूल्य के प्रति 10.31 लाख रू0 के कर की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ब्याज के 9.39 लाख रू0 भी उद्ग्राह्य थे।

मामला विभाग तथा सरकार को जनवरी 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2006)।

2.5 रियायत वापस न लेने के कारण अवनिर्धारण

हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक बिक्री अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादन शुरू करने की तिथि से छः वर्षों तक औद्योगिक ब्लॉक की श्रेणी "ग"[α] के अन्तर्गत आने वाली लघु औद्योगिक इकई एक प्रतिशत कर की रियायती दर के लिए हकदार है।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक व्यापारी ने प्लास्टिक डिब्बों तथा बोतलों का विनिर्माण उत्पादन 25 सितम्बर 1995 से शुरू किया तथा वह 24 सितम्बर 2001 तक की अवधि हेतु कर की रियायती दर के लिए हकदार था। तथापि मार्च तथा अप्रैल, 2005 में

[#] मैसर्ज ज्योति एन्टरप्राईजिज मण्डी: 13.33 लाख रू0, मैसर्ज केवी स्पाईसिज, नेरचौक: 2.83 लाख रू0, मैसर्ज संजय एन्टर प्राईसिज् लूणापानी, मण्डी: 2.68 लाख रू0 तथा मैसर्ज नव दुर्गा उद्योग मण्डी 0.86 लाख रू0

[α] बिक्री कर से रियायती देने हेतु राज्य को औद्यौगिक ब्लॉकों अर्थात क, ख तथा ग के रूप में तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है।

निर्धारण प्राधिकारी ने 2001-02 से 2003-04 वर्षों के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय स्वीकार्य से अधिक अवधि हेतु 32.04 लाख रू0 की करयोग्य आय पर रियायती दर को लागू किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 3.05 लाख रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामला विभाग तथा सरकार को जनवरी 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2006)।

तीसरा अध्याय: राज्य आबकारी

3.1 लेखापरीक्षा परिणाम

राज्य आबकारी से सम्बन्धित अभिलेखों की वर्ष 2005-2006 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई नमूना-जांच से 38 मामलों के अन्तर्ग्रस्त 3.03 करोड़ रू0 की राजस्व राशि की लाइसैंस फीस/आबकारी शुल्क तथा अन्य अनियमितताओं की अवसूली उद्घाटित हुई, जो स्पष्टत: निम्नांकित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं:-

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	लाइसैंस फीस की अवसूली	07	1.07
2.	आबकारी शुल्क/ब्याज की अवसूली/अल्पवसूली	23	1.08
3.	अन्य अनियमितताएं	08	0.88
	योग	38	3.03

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 14 मामलों में 0.48 करोड़ रू0 के अवनिर्धारण स्वीकार किए जो कि पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

वित्तीय प्रभाव वाली महत्त्वपूर्ण टिप्पणियों को प्रकाशमय करने वाले 0.12 करोड़ रू0 के कुछ उदाहरणार्थ मामले निम्नांकित परिच्छेदों में दिए गए हैं।

3.2 लाईसैंस फीस तथा ब्याज की वसूली न करना

वर्ष 2004-05 के लिए आबकारी नीलामी घोषणाओं में देसी निर्मित शराब तथा भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बिक्री हेतु लाईसैंस धारक द्वारा 10 समान किस्तों में लाईसैंस फीस का भुगतान करने का प्रावधान है। लाईसैंस धारक को प्रत्येक मास के अंतिम दिवस को किस्तों का भुगतान करना अपेक्षित है। ऐसा करने में विफल रहने पर उसे भुगतान न की गई राशि पर निर्धारित दरों पर ब्याज उद्ग्राहय करना होगा।

पांच* सहायक एवं कराधान आयुक्तों के लेखापरीक्षा के दौरान ब्याज प्राप्तियां रजिस्टर से यह देखा गया कि पांच लाईसैंस धारियों ने 2004-05 के दौरान 36.32 लाख रू0 की लाईसैंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान नहीं किया। विभाग राशि को वसूलने में विफल रहा तथा भुगतान न की गई राशि पर 3.65 लाख रू0 का ब्याज भी उद्ग्राह्य था। इसके परिणामस्वरूप 39.97 लाख रू0 की सरकारी देयताओं की वसूली करने को रहती थी।

नवम्बर 2005 तथा जनवरी 2006 के मध्य इसे इंगित किए जाने के पश्चात् विभाग ने नवम्बर 2005 तथा सितम्बर 2006 के मध्य बताया कि चार मामलों में 2.49 लाख रू0 के ब्याज सहित 30.53 लाख रू0 वसूल कर लिये थे। शेष राशि की वसूली तथा ब्याज के उद्ग्रहण की सूचना प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2006)।

मामला विभाग तथा सरकार को अक्तूबर 2005 तथा फरवरी 2006 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2006)।

3.3 अधिक अपव्यय पर शुल्क की वसूली न करना

पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 जो हिमाचल प्रदेश में लागू है, में आसवनी के परिपक्वता कक्ष में स्पिरिट के अपव्यय की अनुमत मात्रा निर्धारित करने का प्रावधान है। पंजाब आसवनी नियमावली के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर 1965 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा भण्डारण के दौरान परिपक्व स्पिरिट भाण्डागार/भांडागारों में होने वाले अपव्यय के मानक निर्धारित किए गए हैं।

जिला सोलन में कसौली आसवनी के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि अगस्त तथा सितम्बर 2005 के बीच 18,490.3 प्रूफ लीटर मान्य परिपक्वता अपचय के प्रति, वास्तविक अपचय 30681.3 प्रूफ लीटर था। इसके परिणामस्वरूप 2004-05 के दौरान 12,191 प्रूफ लीटर अधिक हुआ जिस पर लाईसैंसधारक से आबकारी शुल्क के 3.29 लाख रू0 भुगतान योग्य थे। विभाग ने न तो इसकी मांग उठाई और न ही लाईसैंसधारी द्वारा इसका भुगतान किया गया, इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक सरकारी राजस्व की अवसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात विभाग ने जनवरी 2006 में बताया कि आसवनी को राशि जमा करने के निर्देश दिए थे। तथापि, उसने आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पास मांग उठाने की अपील दायर की थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2006)।

मामला विभाग तथा सरकार को अक्तूबर 2005 में प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2006)।

---

* बिलासपुर: 13.15 लाख रू0, मण्डी: 4.65 लाख रू0, कांगड़ा: 4.95 लाख रू0, सोलन: 8.32 लाख रू0 तथा ऊना: 8.90 लाख रू0।

3.4 बढ़ी दरों पर आबकारी शुल्क की वसूली न करना

वर्ष 2004-05 के लिए आबकारी नीलामी घोषणा में विभिन्न प्रकार की शराब तथा मादक द्रव्यों पर निर्धारित दर से आबकारी शुल्क उद्ग्राहय करने का प्रावधान है। वर्ष 2003-04 में सस्ती/नियमित, प्रीमियम तथा अच्छी किस्त की भारतीय निर्मित 25° सान्द्रता की विदेशी शराब के संदर्भ में 23 रू0 तथा 31 रू0 प्रति प्रूफ लीटर आबकारी शुल्क निर्धारित की गई दरों को 2004-05 के दौरान क्रमश: 27 रू0 तथा 35 रू0 प्रति प्रूफ लीटर की दर-तक बढ़ा दिया गया।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान अगस्त तथा सितम्बर 2005 में यह देखा गया कि चार लाइसैंसधारियों ने 2004-05 के दौरान 1.30 लाख प्रूफ लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब को संशोधित दरों के बजाय पुरानी संशोधित दरों पर बेचा। इसके फलस्वरूप 5.19 लाख रू0 के आबकारी शुल्क की अवूसली हुई।

इसके इंगित किए जाने के पश्चात आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने जनवरी 2006 में बताया कि 1.56 लाख रू0 वसूल कर लिए हैं तथा सम्बन्धित कराधान प्राधिकारी को शेष राशि की वसूली शीघ्र करवाने हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं। आगमी सूचना प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2006)।

मामला विभाग तथा सरकार को अक्तूबर 2005 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2006)।

चौथा अध्याय: वाहन, माल व यात्री कर

4.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2005-2006 के दौरान मोटर वाहन, माल व यात्री कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 207 मामलों में 23.82 करोड़ रू0 के कर की अवसूली/अल्पवसूली तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो मुख्यत: निम्नांकित वर्गों में आती हैं:-

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	अवसूली/अल्पवसूली		
	• सांकेतिक कर	79	1.10
	• यात्री व माल कर	16	0.95
2.	अपवंचन		
	• सांकेतिक कर	12	0.63
	• यात्री व माल कर	15	0.36
3.	अन्य अनियमितताएं		
	• सांकेतिक	80	18.83
	• यात्री व माल कर	05	1.95
	योग	207	23.82

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 40 मामलों में 0.32 करोड़ रू0 के अवनिर्धारण स्वीकार किए जो विगत वर्षों की लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

महत्त्वपूर्ण टिप्पणियों को दर्शाने वाले 21.49 करोड़ रू0 के वित्तीय प्रभाव से युक्त कुछ मामलों को निम्नांकित परिच्छेदों में दिया गया है।

4.2 विशेष पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 2001 के अंतर्गत अपनी पसन्द का पंजीकरण चिन्ह आवंटित करवाने के लिए 10 अगस्त 2001 से विशेष पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी। सितम्बर 2003 में प्रधान सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाहनों के पंजीकरणार्थ अपनी पसन्द के नम्बरों को आवंटित कर दिया तथा स्पष्ट किया कि यदि निजी वाहनों को 0001 से 0200 के पंजीकरण नम्बरों को आवंटित किया जाता है तो निर्धारित दरों पर विशेष पंजीकरण फीस उद्ग्राहय थी। सरकारी वाहनों के मामले में विशेष पंजीकरण फीस प्रभारित नहीं की जानी थी।

तीन♣ पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान मई 2005 तथा सितम्बर 2005 के मध्य यह देखा गया कि जुलाई 2003 से फरवरी 2005 के दौरान 212 निजी वाहनों पर उद्ग्राहय 5.30 लाख रूपए की विशेष पंजीकरण फीस का उदग्रहण नहीं किया गया, जिसके कारण उस सीमा तक सरकारी राजस्व की अवसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने मई 2005 व सितम्बर 2005 के मध्य बताया कि कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

मामला विभाग तथा सरकार को जून 2005 व नवम्बर 2005 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2006)।

4.3 विशेष पथ कर की अदायगी न करना/शास्ति का अनुद्ग्रहण

समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1972 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त किए गए अथवा प्रयुक्त किए जाने वाले सभी विशिष्ट परिवहन वाहनों पर विशेष पथकर उद्ग्राहय होगा और प्रत्येक मास की 15 तारीख को अग्रिम रूप से अदा किया जाएगा। परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की दिनांक 28 मई 2003 की अधिसूचनानुसार यदि वाहन मालिक विशिष्ट तिथि को देय कर का भुगतान नहीं करता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुनने का अवसर दिए जाने के पश्चात् उसे निर्धारित दरों पर शास्ति का भुगतान करने के निदेश दे सकता है।

4.3.1 पांच♦ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान अप्रैल 2005 तथा दिसम्बर 2005 के मध्य यह देखा गया कि 70 मामलों में अप्रैल 2003 से मार्च 2005 की अवधि हेतु वाहन मालिकों द्वारा 2.78 करोड़♥ रू0 का विशेष पथ कर जमा नहीं करवाया गया। विभाग देय कर की वसूली की कार्रवाई करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, देय कर की अदायगी न करने पर 2.78 करोड़ रूपए की शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

♣ बैजनाथ: 18 वाहन (दो निर्माण कार्य के उपस्कर वाहनों सहित), लाहौल एवं स्पिति:94 वाहन और नालागढ़:100 वाहन

♦ बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी, शिमला तथा सोलन

♥ हिमाचल पथ परिवहन निगम: 5 मामले: 2.32 करोड़ रूपए; निजी स्टेज कैरिज: 61 मामले: 0.39 करोड़ रूपए और अन्य राज्यों के स्टेज कैरिज: 4 मामले: 0.07 करोड़ रूपए

इसे इंगित किए जाने के पश्चात् क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने अप्रैल 2005 तथा दिसम्बर 2005 के मध्य बताया कि कर वसूल करने की कार्रवाई अधिनियम और नियमों के प्रावधानानुसार की जाएगी। आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2006)।

मामला विभाग तथा सरकार को मई 2005 एवं जनवरी 2006 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2006)।

4.3.2 छ:[∞] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान अप्रैल 2004 व दिसम्बर 2005 के मध्य यह देखा गया कि जून 2003 से मार्च 2005 की अवधि हेतु 17.96[♠] करोड़ रूपए का विशेष पथकर निर्दिष्ट अवधि के भीतर अदा नहीं किया गया था। कर अदायगी में विलम्ब 5 दिन से 729 दिनों के मध्य रहा जिसकी 13.42 करोड़[≤] रूपए की शास्ति यद्यपि उद्ग्राह्य थी किन्तु कराधान प्राधिकारियों द्वारा उद्ग्रहण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 13.42 करोड़ रूपए की शास्ती का अनुद्ग्रहण हुआ।

इसे इंगित करने के पश्चात् क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, बिलासपुर ने क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम को शास्ति जमा करवाने का नोटिस जारी कर दिया। अन्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने अप्रैल 2004 तथा दिसम्बर 2005 के मध्य बताया कि शास्ति वसूल करने हेतु मामला सभी सम्बन्धितों के साथ उठाया जाएगा। आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2006)।

मामला विभाग तथा सरकार को जून 2004 व जनवरी 2006 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2006)।

4.4 सांकेतिक कर का भुगतान न करना

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा उसके नीचे बताए गए नियमों के अंतर्गत सांकेतिक कर अग्रिम रूप से अदा करना होता है और निर्धारित ढंग से त्रैमासिक अथवा वार्षिक एकत्रित किया जाता है। यदि पंजीकृत वाहन का मालिक सांकेतिक कर के भुगतान का दोषी पाया जाता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सांकेतिक कर के बकाया के अतिरिक्त विलम्ब सीमा तक की निर्धारित दरों पर शास्ति जमा करवाने का निर्देश देता है।

18[€] पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण, शिमला के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान मई 2005 और दिसम्बर 2005 के मध्य यह देखा गया कि वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 हेतु 1,067[ϖ] मामलों में 99.61 लाख रूपए का सांकेतिक कर न तो वाहन मालिकों द्वारा जमा करवाया गया न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा उसे वसूलने की कोई कार्रवाई की गई। वाहन नहीं चलाए गए या कर को किसी अन्य

∞ बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी तथा शिमला

♠ हिमाचल पथ परिवहन निगम: 17.06 करोड़ रूपए; निजी स्टेज कैरिज प्रचालक: 0.10 करोड़ रूपए और अन्य राज्यों के ट्रांसपोर्टर: 0.80 करोड़ रूपए

≤ हिमाचल पथ परिवहन निगम: 13.27 करोड़ रूपए; निजी स्टैज कैरिज प्रचालक: 0.05 करोड़ रूपए और अन्य राज्यों के ट्रांसपोर्टर: 0.10 करोड़ रूपए

€ बैजनाथ, बड़सर, डलहौजी, देहरा, धर्मशाला, हमीरपुर, ज्वाली, कांगड़ा, कल्पा, कुल्लू, मण्डी, नदौन, नुरपूर, पालमपुर, पांवटा साहिब, रोहड़ू, सरकाघाट तथा ठियोग।

ϖ बसें/मिनी बसें/ मैक्सी कैबें: 497 मामले: 87.64 लाख रूपए तथा मालवाहन/अन्य वाहन: 570 मामले: 11.97 लाख रूपए

पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास जमा करवाया गया, ऐसा अभिलेख नहीं दर्शाते थे। दोषियों के विरूद्ध पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 99.61 लाख रूपए के सांकेतिक कर की अवसूली हुई। सांकेतिक कर की अदायगी न करने के कारण 99.61 लाख रूपए की शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात् पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी, डलहौजी ने दिसम्बर 2005 में बताया कि 0.48 लाख रूपए की राशि वसूल की जा चुकी थी। शेष सम्बन्धित कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि राशि वसूलने हेतु वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे थे। आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (सितम्बर 2006)।

मामला जून 2005 तथा जनवरी 2006 के मध्य विभाग और सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2006)।

4.5 एक मुश्त सांकेतिक कर का अल्पोद्ग्रहण

18 अक्तूबर 2001 से प्रभावी हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम 2001 के अंतर्गत निजी मोटर वाहन तथा मोटर साईकिल/स्कूटर के मूल्य पर आधारित एक मुश्त सांकेतिक कर लगाया गया था। उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी 15 दिसम्बर 2001 की अधिसूचनानुसार निजी मोटरवाहन पर एक मुश्त कर निजी मोटर वाहन के मूल्य का दो प्रतिशत की दर से उद्ग्राह्य था।

पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी, नालागढ़ व परवाणु के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सितम्बर तथा अक्तूबर 2005 के मध्य यह देखा गया कि अप्रैल 2003 और मार्च 2005 के मध्य पंजीकृत 30 वाहन मालिकों से वाहनों के मूल्य के दो प्रतिशत के स्थान पर वार्षिक कर दर से एक मुश्त सांकेतिक कर वसूल किया गया। पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा 5.49 लाख रूपए के वसूलीयोग्य कर के प्रति केवल 0.50 लाख रूपए वसूल किए गए। परिणामत: 4.99 लाख रूपए के सांकेतिक कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

इसे इंगित करने के पश्चात् पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी, परवाणु ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया तथा सितम्बर 2005 में बताया कि देय कर की वसूली कर ली जाएगी। पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी, नालागढ़ ने अक्तूबर 2005 में बताया कि मामले की छानबीन की जाएगी। आगामी उत्तर प्रतीक्षित था।

मामला अक्तूबर व नवम्बर 2005 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2006)।

4.6 विशेष पथ कर का अल्पोद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम में निर्दिष्ट दरों पर विशेष पथ कर अग्रिम रूप से लगाने व एकत्रित करने का प्रावधान है। दरें उन मार्गों के वर्गीकरण पर आधारित हैं जिन पर वाहन चलाये जाते हैं यथा राष्ट्रीय उच्चमार्ग, अन्तर्राज्य मार्ग, ग्रामीण मार्ग पर और स्थानीय बसों/मिनी बसों को 30 किलोमीटर के दायरें के भीतर चलाने हेतु।

तीन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों[♦] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जून 2004 तथा सितम्बर 2005 के मध्य यह देखा गया कि 53[♦] मामलों में अप्रैल 2003 से मार्च 2005 की अवधि हेतु मार्गों के गलत वर्गीकरण के कारण 9.85 लाख रूपए का विशेष पथ कर कम लगाया गया। परिणामत: उस सीमा तक राजस्व का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

इसे इंगित करने के पश्चात् क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने जून 2004 तथा सितम्बर 2005 के मध्य बताया कि राशि वसूलने की कार्रवाई अधिनियम व नियमों के प्रावधानानुसार की जाएगी।

मामला जुलाई 2004 व अक्तूबर 2005 के मध्य विभाग और सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2006)।

4.7 सांकेतिक कर प्रभारित न करना

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बन्धित बसों पर सांकेतिक कर 200 रूपए प्रति सीट प्रति वर्ष अधिकतम 8000 रूपए की दर से प्रभारित किया जाना था। जनवरी 2004 से सांकेतिक कर संशोधित करके 250 रूपए प्रति सीट प्रतिवर्ष अधिकतम 35,000 रूपए कर दिया गया।

छ: पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों[⊕] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जनवरी 2005 तथा सितम्बर 2005 के मध्य यह देखा गया कि शैक्षणिक संस्थाओं की अपनी 35 बसों पर अप्रैल 2003 तथा मार्च 2005 की मध्यावधि के दौरान सांकेतिक कर प्रभारित नहीं किया गया। इसके कारण 2.89 लाख रूपए के सांकेतिक कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

इसे इंगित करने के पश्चात् पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी, धर्मशाला ने अप्रैल 2006 में बताया कि एक वाहन की 0.13 लाख रूपए की वसूली कर ली गई थी जबकि पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऊना ने सूचित किया कि नोटिस जारी किए जा चुके थे। शेष पंजीयन प्राधिकारियों ने जनवरी 2005 और अगस्त 2005 के मध्य बताया कि कर जमा करवाने हेतु सम्बद्ध दोषियों को नोटिस जारी कर दिए जाऐंगे।

मामला फरवरी 2005 तथा सितम्बर 2005 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित कर दिया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे(सितम्बर 2006)।

4.8 आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न करवाए गए वाहन

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्टेज/कांट्रैक्ट कैरिजों तथा माल वाहकों के मालिकों को अपने वाहनों को सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास पंजीकृत करवाना अपेक्षित है तथा निर्धारित दरों पर यात्री कर और माल कर अदा करना होता है। दिसम्बर 1984 में जारी प्रशासकीय अनुदेशों में भी अनुबन्ध है कि आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत सभी वाहनों के पंजीकरण की सुनिश्चितता हेतु उपयुक्त पग उठाएगा और उस उद्देश्यार्थ पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों के साथ निकट समन्वय बनाएगा। पंजीकरण आवेदन में विफल रहने पर शास्ति भी उद्ग्राह्य है जो निर्धारित किए गए कर की राशि के पांच गुणा से अधिक न हो तथा न्यूनतम 500 रूपए हो।

♦ धर्मशाला: 13 मामले, कुल्लू: 11 मामले तथा शिमला: 29 मामले

⊕ डलहौजी, देहरा, धर्मशाला, कांगड़ा, परवाणु तथा ऊना

सात* सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान जून व अक्तूबर 2005 के मध्य यह देखा गया कि सम्बन्धित पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत 906 वाहन हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, वाहन मालिकों द्वारा 2003-04 तथा 2004-05 की मध्यावधि हेतु 24.36 लाख रूपए का कर अदा नहीं किया गया था। 4.53 लाख रूपए की न्यूनतम शास्ती भी उद्ग्राह्य थी।

इसे इंगित करने के पश्चात् अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने अक्तूबर और नवम्बर 2005 के मध्य बताया कि बिलासपुर जिले में 27 वाहनों को पंजीकृत किया गया तथा 0.55 लाख रूपए वसूल किए गए। कुल्लू जिले के सम्बन्ध में 20 वाहनों को पंजीकृत किया गया तथा 0.40 लाख रूपए वसूल किए गए। शेष जिलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2006)।

मामलों को जुलाई 2005 व नवम्बर 2005 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2006)।

---

* बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, रिकांगपिओ, शिमला तथा सोलन

5.2 समीक्षा: वनों का दोहन

5.2.1 सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नवत् तथ्यों पर विचार कर सकती है:

- प्रधान अरण्यपाल यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकता है कि वृक्षों की मार्किंग, गिराये जाने की जांच, रूपांतरण, ढुलाई, बिरोजा निःस्रवण कार्य के लिए समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों तथा आदेशों का क्षेत्रीय अभिकरणों द्वारा पूर्णरूप से अनुसरण किया गया है।

- सरकार आंतरिक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित कार्यों के संदर्भ में अपने आदेशों का कार्यान्वयन कर सकती है, ताकि सभी स्तरों पर निगम की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने के लिए एक प्रभावशाली तंत्र का विकास हो सके।

- निगम के साथ रॉयल्टी, ब्याज, क्षति बिलों तथा विस्तार फीस, आदि का समाधान यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि विभाग की पुस्तकों में दर्शाए गए लम्बित बकाये निगम की पुस्तकों के अनुसार है। इससे बकायों के प्रमाणिक चित्रण तथा उनकी वसूली की स्थिति का सरलीकरण होगा।

पांचवां अध्याय: वन प्राप्तियां

5.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में वन प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 178 मामलों में 111.22 करोड़ रू0 की राजस्व राशि की अवसूलियां, अल्पवसूलियां तथा अन्य हानियां उद्घाटित हुई, जो स्पष्टतया निम्नांकित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं:-

(करोड़ रूपए)

क्र0	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	रॉयल्टी की अवसूली/अल्प वसूली	17	5.68
2.	विस्तार शुल्क का अनुदग्रहण	21	0.67
3.	ब्याज का अनुदग्रहण	09	0.24
4.	अन्य अनियमितताएं	129	48.20
5.	भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली योग्य बकाया	1	1.35
6.	वनों के दोहन पर समीक्षा	1	55.08
	योग	178	111.22

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 54 मामलों में 21.42 करोड़ रू0 के अवनिर्धारणों को स्वीकार किया जो कि गत वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

32.94 करोड़ रू0 से अन्तर्ग्रस्त वित्तीय प्रभाव वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियों को दर्शाने वाले कुछ उदाहरणार्थ मामले निम्नांकित परिच्छेदों में दिए जाते हैं।

5.2.2 मुख्य-मुख्य बातें

- विभाग 31 मार्च 2005 तक लम्बित संग्रहण बकायों की सही स्थिति सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसने निगम के प्रति लम्बित संग्रहण 91.70 करोड़ रू0 दर्शाया जबकि निगम ने इसे केवल 11.70 करोड़ रू0 स्वीकार किया।

(परिच्छेद 5.2.9)

- निगम द्वारा भारित औसत बिक्री दर की सत्यता का पता लगाने के लिए किसी भी तंत्र की विद्यमानता को प्रस्तुत नहीं किया गया जो रॉयल्टी की दरों का सही निर्धारण करने के लिए आधार था।

- मूल्य निर्धारण समिति/माननीय विधानसभा तथा प्रधान मुख्य अरण्यपाल को आपूरित किए गए आंकड़ों मे अंतर पाया गया। तद्नुसार रॉयल्टी के सही निर्धारण का पता नहीं लगाया जा सका।

(परिच्छेद 5.2.12

- आधे टूटे हुए वृक्षों हेतु छूट प्रदान करने के निर्णय में लकूने के फलस्वरूप 1.63 करोड़ रू0 की रॉयल्टं का कम निर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 5.2.14

- 2001-02 से 2004-05 के दौरान 276 ढेरों की कार्यशील अवधि में समयवृद्धि यद्यपि निगम द्वारा आवेदि की गई थी, तथापि इसे स्वीकृत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रू0 की विस्तार फीस की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.2.18

- बिरोजा ब्लेजों की रॉयल्टी की विलम्ब से की गई अदायगी पर ब्याज प्रभारित न करने के परिणामस्वरू 1.75 करोड़ रू0 के राजस्व की कम वसूली की गई।

(परिच्छेद 5.2.20

- नि:स्रवण हेतु बिरोजा ब्लेजों के कम हस्तांतरण करने तथा बिरोजा नि:स्रवकों से पंजीकरण फीस की वसूल न करने के परिणामस्वरूप 1.78 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं की गई।

(परिच्छेद 5.2.23 एवं 5.2.24

- निस्सारण के पश्चात बिक्री डिपुओं तक इमारती लकड़ी के परिवहन करने में विलम्ब के परिणामस्वरू इसका निम्नीकरण हुआ जिससे रॉयल्टी का दरों के निर्धारण करने में दुष्प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरू 6.38 करोड़ रू0 के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 5.2.27

5.2.3 परिचय

राज्य सरकार वनों का विभागीय रूप से दोहन करने के अतिरिक्त इमारती लकड़ी के व्यापार तथा वन परिचालन के अन्य कार्य हेतु निजी संविदागत अभिकरणों को नियुक्त कर रही है। राज्य के वन संसाधनों का उपयुक्त एवं यथार्थ दोहन करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मार्च 1974 में हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम (निगम) संस्थापित किया। वर्ष 1974-75 से वनों के दोहन से सम्बन्धित कार्य चरणबद्ध तरीके से निगम को सौंपा गया तथा 1982-83 में पूर्ण रूप से सौंप दिया गया। प्रतिभूति जमा जो ठेकेदारों द्वारा अदा की जानी अपेक्षित थी की शर्त तथा ढेरों की लागत पद्धति के अतिरिक्त निगम उन्हीं अनुबन्धों तथा शर्तों के द्वारा शासित होती थी जो वन के राष्ट्रीयकरण से पहले निजि ठेकेदारों को लागू हुआ करते थे। वन विभाग द्वारा निगम को हस्तांतरित किये जाने वाले बिरोजा ब्लेजों, खड़े वृक्षों, अन्य वन उत्पादों की आपूर्ति हेतु लागत तथा अनुबन्ध व शर्तें प्रतिवर्ष एक सांविधिक रूप से गठित समिति "मूल्य निर्धारण समिति" द्वारा निर्धारित की जानी थी।

बिरोजा के मामले में रॉयल्टी की दर निगम द्वारा बाजार में बेचे गये एन ग्रेड[#] बिरोजा की कीमत पर आधारित थी। तथपि, इमारती लकड़ी के मामले में 2001-02 तक कोई भी एक रूप नीति नहीं अपनाई गई थी। उसके पश्चात रॉयल्टी की दरें पूर्व वर्ष में हिमकाष्ठ बिक्री डिपुओं में निगम द्वारा प्राप्त इमारती लकड़ी की वजन की गई औसत बिक्री दरों पर आधारित थी।

5.2.4 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा वन विभाग की अध्यक्षता प्रधान सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन की जाती है जिसकी सहायतार्थ 37 क्षेत्रीय मण्डलों के आठ अरण्यपाल होते हैं। प्रत्येक अरण्यपाल अपने नियन्त्रणाधीन वन मण्डल अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दोहन तथा वन्य क्रियाकलापों के पुनर्उत्पादन पर नियन्त्रण रखता है। प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी अपने क्षेत्रीय मण्डल में उसे सौंपे गए वन सम्बन्धी क्रियाकलापों का प्रभारी होता है।

5.2.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2000-01 से 2004-05 तक की अवधि हेतु प्रधान मुख्य अरण्यपाल कार्यालय तथा 37 में से 26 वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई।

5.2.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

समीक्षा इन को दृष्टिगत रखते हुए की गई:-

- इमारती लकड़ी तथा (रेजिन) की मार्किंग, गिराने तथा निष्कासन हेतु समय-समय पर जारी किये गये भारतीय वन अधिनियम, नियमावली एवं अनुदेशों के प्रावधानों के कार्यान्वयन का निर्धारण;

[#] यह बिरोजा का विधायित रूप है।

- सरकारी राजस्व की वसूली पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए मूल्य निर्धारण समिति द्वारा की गई सिफारिशों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए कि समिति द्वारा की गई सिफारिशों में कोई संदिग्धता/विलोपन नहीं है।

- आंतरिक नियंत्रणों की प्रणाली का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए कि निगम से देय सरकारी राजस्व की वसूली करने में कोई विलम्ब नहीं है।

5.2.7 राजस्व प्रवृति

वार्षिक बजट आकलन प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी द्वारा अपने मण्डल के सम्बन्ध में तैयार किये गए थे तथा सम्बद्ध अरण्यपाल को प्रस्तुत किये गए थे जिसने इसके प्रति इन्हें अनुमोदन तथा समेकन हेतु प्रधान मुख्य अरण्यपाल को भेजा।

यद्यपि बजट आकलनों को तैयार करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा था, निगम के बजट आकलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य बहुत अन्तर पाया गया जैसा नीचे विवरणित है:

(करोड़ रूपए)

वर्ष	मूल बजट आकलन	संशोधित बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियां	एसक्रो लेखों की प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	बढ़ोतरी/कमी		% वृद्धि/कमी	
						मौलिक	संशोधित	मौलिक	संशोधित
2000-01	37.21	32.09	10.35	27.31	37.66	(+)0.45	(+)5.57	1.20	17.36
2001-02	40.09	35.74	9.98	17.59	27.57	(-)12.52	(-)8.17	31.23	22.86
2002-03	39.70	39.80	13.19	11.02	24.21	(-)15.49	(-)15.59	39.01	39.17
2003-04	39.18	22.84	21.72	13.19	34.91	(-)4.27	(+)12.07	10.90	52.84
2004-05	32.09	32.00	26.71	..	26.71	(-)5.38	(-)5.29	16.76	16.53

इसे इंगित करने के पश्चात विभाग ने अन्तर को मुख्यतया एसक्रो[♣] लेखा के द्वारा भुगतान की प्राप्ति के कारण बताया तथा अक्तूबर 2005 में बताया कि यह भुगतान सरकार के आदेशानुसार अपनाया गया था। तथापि विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एसक्रो लेखे के माध्यम से प्राप्त राशि पर विचार करने के पश्चात मूल बजट आकलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य (+) 0.45 करोड़ रू0 से (-)15.49 करोड़ रू0 तक का अन्तर था।

इसके अतिरिक्त एसक्रो लेखे से सम्बन्धित प्राप्तियों को राज्य की समेकित निधि में भी जमा नहीं किया गया है जो वित्तीय लेखाकरण के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

♣ ब्याज भुगतानों तथा मूलधन चुकौतियों दोनों के लिए बांड जारी करने हेतु एक जमा वृद्धि प्रक्रिया। एसक्रो तंत्र के प्रचालन हेतु स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को एसक्रो एजैंट के रूप में नामांकित किया गया था।

5.2.8 आंतरिक नियंत्रण का अभाव

5.2.8.1 आंतरिक नियंत्रण

प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने जुलाई 1993 तथा जुलाई 2004 में अनुदेश दिये कि पर्याप्त नियंत्रण तथा जांच/सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम को सौंपे जाने वाले वृक्षों की मार्किंग का न्यूनतम 25 प्रतिशत परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा 15 प्रतिशत सहायक अरण्यपाल द्वारा 10 प्रतिशत वन मण्डल अधिकारी द्वारा तथा दो प्रतिशत अरण्यपाल द्वारा जांच किया जाना चाहिए। जांच/निरीक्षण के परिणामों का उल्लेख विस्तृत निरीक्षण टिप्पणियों में किया जाना अपेक्षित तथा अधिकारियों की मासिक दौरा डायरियों में विशिष्ट संदर्भ किया जाना अपेक्षित था।

तथापि, 26 मण्डलों में सम्बन्धित अधिकारियों की दौरा डायरियों की नमूना जांच से पाया गया कि पालमपुर मण्डल के अतिरिक्त कभी भी ऐसी जांच नहीं की गई थी। इसी प्रकार, पेड़ों के काटने, रूपांतरण, बिरोजा नि:स्रवण, ढुलाई आदि, कार्यों की जांच महीने में कम से कम दो बार परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा एवं महीने में एक बार सहायक अरण्यपाल द्वारा तथा जब कभी दौरे पर हों तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा की जानी थी। यह भी नहीं की गई। किसी भी अधिकारी ने ऐसी जांच/निरीक्षण टिप्पणी जारी नहीं की जैसाकि अपेक्षित था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निर्धारित जांच कर ली गई थी उच्चतर स्तरों पर कोई अनुश्रवण व्यवस्था विद्यमान नहीं थी।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने अनुदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए सभी अरण्यपालों/वन मण्डलाधिकारियों को दिसम्बर 2005 में पुन: अनुदेश जारी किये।

5.2.8.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य तुरन्त एवं कुशल सेवा हेतु समुचित आश्वासन प्रदान करना है। इसका आशय विधि, नियमों तथा विभागीय अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करना है। यह राजस्व के सही निर्धारण, उसके शीघ्र संग्रहण तथा जालसाली एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने में सहायक होता है। राज्य सरकार ने वन विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा करने, लेखाओं की जांच करने, बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान का पर्यवेक्षण करने तथा भण्डार एवं स्टॉक का वास्तविक सत्यापन करने के लिए एक उप नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार तथा एक अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति की है।

26 मण्डलों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा ऐसी कोई भी लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

5.2.9 आंकड़ों का मिलान

मूल्य निर्धारण समिति ने अप्रैल 1995 में निर्णय किया कि रॉयल्टी तथा बिक्री कर,आदि की वसूली के कारण निष्पादन सहित बकायों की स्थिति की समीक्षा की दृष्टि से रॉयल्टी के निर्धारण के सम्बन्ध में निगम का प्रबन्ध निदेशक तथा वन विभाग कार्य सूची मदों को अधिकृत करते समय वार्षिक कार्य स्थिति से सम्बन्धित कागजात प्रस्तुत करेंगे।

मूल्य निर्धारण समिति ने इसके अतिरिक्त फरवरी 2005 में निर्णय किया कि मण्डलीय प्रबन्धकों/वन मण्डल अधिकारियों के स्तर पर तथा अरण्यपालों/निदेशकों के स्तर पर त्रैमासिक आधार पर बकाया देयताओं के संयुक्त मिलान का कार्य किया जाएगा। यदि निगम 90 दिनों के अन्दर मिलान की गई देयताओं का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे उस राशि पर मूल्य निर्धारण समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दरों पर उनके वास्तविक वसूली की तारीख तक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कार्य स्थिति सम्बन्धी अपेक्षित कोई भी कागजात समिति को प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 31.3.2005 तक निगम के प्रति 91.70 करोड़ रू0 की राशि बकाया थी। बकायों की वर्षवार स्थिति निम्नवत् थी:-

वर्ष	करोड़ रूपये
1998-99 तक	23.53
1999-2000	8.43
2000-01	8.02
2001-02	16.24
2002-03	10.25
2003-04	11.31
2004-05	13.92
योग	91.70

विभाग ने 15.2.2005 को की गई इसकी बैठक हेतु मूल्य निर्धारण समिति को प्रस्तुत अपनी कार्यसूची टिप्पणी में पहली बार यह बताया कि 1998-99 तक के लेखाओं का मिलान कर दिया गया है। इस प्रकार, मिलान की तिथि के 90 दिनों के अन्दर निगम द्वारा 23.53 करोड़ रू0 का भुगतान किया जाना था जिसके विफल रहने पर 31.3.2006 तक 14.83 करोड़ रू0 का ब्याज भी भुगतान योग्य था।

5.2.9.1 अभिलेखों की जांच से पाया गया कि प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने अपने नवम्बर 2005 के पत्र में बताया कि निगम ने विभाग द्वारा दर्शाई गई बकाया राशि का खण्डन किया था तथा यह तर्क दिया कि इस के प्रति केवल 11.70 करोड़ रू0 बकाया थे। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने सभी अरण्यपालों को अधिकतम विलम्ब सहित 5 दिसम्बर 2005 तक आंकड़ों का मिलान करने के निदेश दिये। इनका मिलान आज तक नहीं किया गया है। इस प्रकार सरकार की 80 करोड़ रू0 की राशि के राजस्व की अंतिम अवस्था अनिश्चित है। इससे प्रकट होता है कि विभाग के पास आंकड़ों की सत्यता तथा बकायों की वसूली हेतु अनुश्रवण/आंतिरक नियंत्रण का अभाव था जिसके फलस्वरूप सरकारी देयताओं की वसूली नहीं हुई।

5.2.9.2 इसके अतिरिक्त जांच से पाया गया कि 1981-82 से 1992-93 तक की अवधि हेतु 91.70 करोड़ रू0 में से 7.11 करोड़ रू0 की राशि ब्याज तथा ब्याज पर ब्याज के कारण बकाया थी। निगम ने इस राशि का भुगतान नहीं किया था क्योंकि मूल्य निर्धारण समिति ने ब्याज तथा ब्याज पर ब्याज के भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी जिसे 1992-93 से आगे समाप्त कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप 7.11 करोड़ रू0 की सीमा तक सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ।

5.2.10 खड़े आयतन के आंकड़ों का मिलान

विधानसभा में उठाये गये प्रश्न के प्रत्युत्तर में वन विभाग द्वारा 15.2..2005 को मूल्य निर्धारण समिति को आपूरित विभिन्न प्रजातियों के खड़े आयतन सम्बन्धी आंकड़ों का निगम द्वारा विधानसभा को आपूरित आंकड़ों के साथ प्रति-सत्यापन करने पर लेखापरीक्षा में निम्नवत् भारी अन्तर पाया गया:

(घनमीटर)

	2001-2002			2002-03			2003-2004		
प्रजाति	विभागीय आंकड़े	निगम के आंकड़े	अन्तर	विभागीय आंकड़े	निगम के आंकड़े	अन्तर	विभागीय आंकड़े	निगम के आंकड़े	अन्तर
डीईओ	17,463.54	18,610.00	(+)1,146.46	22,025.99	22,406.00	(+)380.01	13,067.729	13,073.00	(+)5.271
कैल	36,086.74	32,901.00	(-)3,185.74	41,885.87	40,943.00	(-)942.87	36,221.56	37,380.00	(+)1,158.44
चील	1,00,732.99	1,03,223.00	(+)2,490.01	1,68,644.56	92,231.00	(-)76,413.56	76,688.87	77,703.00	(+)1,014.13
फर/ स्प्रूस	75,327.25	1,31,423.00	(+)56,095.75	1,24,029.65	1,41,824.00	(+)17,794.35	49,514.03	65,723.00	(+)16,208.97

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2005 में बताया कि विभाग द्वारा दिये गये खड़े आयतन के आंकड़ों तथा निगम द्वारा वास्तविक रूप में प्राप्त किये गये आंकड़ों का मिलान किया जा रहा था तथा लेखापरीक्षा को स्थिति से अवगत करवा दिया जाएगा। आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2006)।

5.2.11 रॉयल्टी संरचना का निर्धारण

जुलाई 2001 से पहले रॉयल्टी तीव्रता* के आधार पर प्रभारित की जा रही थी। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जुलाई 2001 में रॉयल्टी सरलीकरण तथा यथामूल्य आधार पर रॉयल्टी की दरों के निर्धारण की व्यवहार्यता को जांचने के लिए वित्तीय आयुक्त एवं सचिव (वन), वित्त, प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं प्रबन्ध निदेशक, निगम से समाविष्ट एक समिति का गठन किया। समिति ने प्राथमिक रूप से एक महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि समिति ने सरकार अथवा मूल्य निर्धारण समिति को ऐसा कोई भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। यह सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं पाया गया कि समिति की कभी बैठक हुई थी। इस प्रकार प्रयोजन जिसके लिए समिति का गठन किया गया था, विफल रहा।

5.2.12 रॉयल्टी दरों का गलत निर्धारण

मूल्य निर्धारण समिति के दिनांक अगस्त 2001 के निर्णय के अनुसार निगम से बिक्री डिपुओं में इमारती लकड़ी की बिक्री के सम्बन्ध में विगत वर्ष के दौरान प्राप्त हुई भारित औसत बिक्री दर का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। इसके पश्चात रॉयल्टी की दरें बिक्री डिपुओं में विगत वर्ष में बेची गई इमारती लकड़ी के सम्बन्ध में भारित औसत बिक्री दरों के आधार पर निर्धारित की जानी थी।

यह पाया गया कि विभाग के पास निगम द्वारा प्रस्तुत की गई भारित औसत बिक्री दर को यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सही थी अथवा नहीं, कोई भी प्रक्रिया नहीं थी। तदनुसार, रायल्टी दरों की सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विधानसभा को आपूरित आंकड़ों में विभिन्नता

5.2.12.1 निगम ने अपने डिपुओं पर बेची गई इमारती लकड़ी के औसत बिक्री मूल्य के आंकड़ों के दो विभिन्न समुच्चय (सैट), एक मूल्य निर्धारण समिति तथा दूसरा विधानसभा को प्रस्तुत किये। निगम द्वारा विधान सभा को प्रस्तुत की गई औसत बिक्री दर को सही मानने पर विभाग को 32.84 लाख रू0 की हानि उठानी पड़ी जैसा कि नीचे विवरणित है:

(लाख रूपए)

वर्ष	बेची गई प्रजातियां/ आयतन∝ 2002-03, 2003-04	निगम द्वारा मूल्य निर्धारण समिति को प्रस्तुत की गई भारित औसत बिक्री दर प्रति घनमीटर	प्रति घनमीटर देय रॉयल्टी	निगम द्वारा विधानसभा को प्रस्तुत की गई औसत बिक्री दर प्रति घनमीटर	रॉयल्टी देय प्रति घनमीटर	अन्तर प्रति घनमीटर	रॉयल्टी की कुल राशि	उद्ग्राह्य कुल बिक्री कर
2001-02	देवदार/22,406 घनमीटर	15,809	3,952	15,973	3,993	41	9.19	2.76
2002-03	कैल/37,380 घनमीटर	8,770	2,192	8,941	2,235	43	16.07	4.82
योग							25.26	7.58

* तीव्रता का आशय समूह में चिन्हित किये गये कुल आयतन को इसके क्षेत्रफल द्वारा भाग विभाजित करने से है।

∝ वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान प्राप्त हुई औसत बिक्री दरें क्रमशः वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के लिए रॉयल्टी निर्धारण हेतु लागू होने योग्य थी।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल को आपूरित आंकड़ों में विभिन्नता

5.2.12.2 निगम द्वारा आंकड़ों के दो सैट, एक मूल्य निर्धारण समिति को तथा दूसरा प्रधान मुख्य अरण्यपाल को आपूरित किये गये। मूल्य निर्धारण समिति को आपूरित औसत बिक्री मूल्य प्रधान मुख्य अरण्यपाल को आपूरित औसत बिक्री मूल्य से कम थे जिसके फलस्वरूप 3.87 लाख रू0 की हानि हुई जैसा कि निम्नवत् विवरणित है:

(लाख रूपए)

वर्ष	प्रजाति	अगस्त 2001 में मूल्य निर्धारण समिति को आपूरित की गई औसत बिक्री स्थगत प्रति घनमीटर	2001-02 के लिए मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई रॉयल्टी दर प्रतिघन मीटर	निगम द्वारा अक्तूबर 2001 में प्रधान मुख्य अरण्यपाल को प्रस्तुत की गई सूचना	रॉयल्टी प्रति घनमीटर	अन्तर प्रति घनमीटर	2001-2002 के दौरान बेचा गया आयतन	रॉयल्टी की राशि	बिक्री कर,
2000-01	देवदार	15,573	3,890	15,625	3,906	16	18,610 घनमीटर	2,97,760	89,328

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2005 में बताया कि मामला मूल्य निर्धारण समिति के ध्यान में लाया गया था जिसने इसके प्रत्युतर में अक्तूबर 2005 में एक उप समिति का गठन किया तथा उक्त मदों पर विचार करने के लिए उनका प्रतिवेदन मूल्य निर्धारण समिति को प्रस्तुत करने के लिए कहा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2006)।

5.2.13 सड़क किनारे डिपुओं में की गई बिक्री

परिवहन के पश्चात् शेष बची वाणिज्यिक इमारती लकड़ी को निगम द्वारा अपने सड़क के किराने के डिपुओं में बेचा जाता है। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि को न तो बेची गई इमारती लकड़ी के औसत बिक्री मूल्य में सम्मिलित किया गया था तथा न ही इसके किसी भाग को सरकारी खाते में जमा किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निगम ने सड़क के किनारे के डिपुओं में विभिन्न प्रकार की शेष लकड़ी की नीलामी द्वारा 2001-02 तथा 2003-04 के मध्य 14.75 करोड़ रू0 की बिक्री की। यद्यपि बिक्री के बारे में विभाग को मालूम था तो भी इसने निगम से लागत की वसूली के लिए न तो कोई प्रयास किये और न ही इसे इमारती लकड़ी के औसत बिक्री मूल्य में सम्मिलित करने के लिए लागत समिति के ध्यान में लाया गया।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अक्तूबर 2005 में लागत समिति के समक्ष मामले को प्रस्तुत किया जिसने प्रत्युत्तर में मामले पर विचार करने के लिए तथा इसकी अगली बैठक में इसकी सिफारिशों को मूल्य निर्धारण समिति को प्रस्तुत करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2006)।

5.2.14 रॉयल्टी दरें निर्धारण में लकूना

मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, धारित औसत बिक्री मूल्य की प्रतिशतता के रूप में रॉयल्टी को प्रभारित किया जाता है। धारित औसत बिक्री दरों की गणना हिमकाष्ट बिक्री डिपुओं में विगत वर्षों में प्राप्त कुल बिक्री को बेचे गये कुल आयतन से भाग करने के द्वारा की जाती है। इन बिक्रियों में आधे टूटे हुए वृक्षों से प्राप्त इमारती लकड़ी सहित सभी प्रकार की इमारती लकड़ी शामिल है। इस प्रकार आधे टूटे वृक्षों के कारण वहन की गई हानि यदि कोई हो तो उसे ध्यान में रख कर दरों का निर्धारण किया जाता है। तथापि, मूल्य निर्धारण समिति ने आधे टूटे वृक्षों के सम्बन्ध में रॉयल्टी में पुनः 50 प्रतिशत छूट स्वीकृत की जिसके लिए

अभिलेख में कोई आधार नहीं पाया गया। इस प्रकार सभी प्रकार के चिन्हांकन से निस्सारित इमारती लकड़ी हेतु समिति का निर्णय भारित औसत बिक्री दर के रूप में रॉयल्टी प्रभारित करने के निर्णय से विपरीत था।

20 वन मण्डलों में, विभाग ने 1.25 करोड़ रू0 की रॉयल्टी प्रभारित की जो पूरी दरों का 50 प्रतिशत थी यद्यपि रॉयल्टी की दरों का निर्धारण करते समय आधे टूटे वृक्ष के कारण हानि को पहले ही ध्यान में रखा गया था। इस प्रकार आधे टूटे वृक्षों के सम्बन्ध में विभाग ने 1.25 करोड़ रू0 की हानि उठाई। इसके अतिरिक्त, बिक्री कर के कारण सरकार को 37.45 लाख रू0 से भी वंचित होना पड़ा।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने मामला मूल्य निर्धारण समिति को संदर्भित किया जिसने प्रत्युतर में उक्त मदों पर विचार करने के लिए एक उप समिति का गठन किया।

सरकार जिसे मामला संदर्भित किया गया था ने दिसम्बर 2005 में सूचित किया कि प्रधान सचिव (वन) की अध्यक्षता में मामले की जांच करने के लिए एक उप समिति बनाई गई है। आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2006)।

5.2.15 रॉयल्टी में छूट प्रदान करने में शर्त का उल्लंघन

मूल्य समिति ने चिन्हित किये जाने के पश्चात दोहनार्थ अयोग्य घोषित किये गये वृक्षों के सम्बन्ध में रायल्टी की रियायती दर प्रदान करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की थी। इन शर्तों में उप मण्डलीय प्रबन्धक तथा सहायक अरण्यपाल द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाना शामिल था जिन्होंने प्रमाणित करना था कि अयोग्य पेड़ों के मूल ढूंठ वाले भाग 25 प्रतिशत अथवा अधिक गले-सड़े पाये गये तथा जिनमें तीन मीटर लम्बाई का मजबूत काष्ठखण्ड (न्यूनतम मध्य परिधि 1.5 मीटर सहित) तथा चार मीटर की लम्बाई एवं चौड़ाई में एक मजबूत खम्बा (किसी भी सिरे पर एक मीटर की परिधि सहित) तथा तीन मीटर लम्बाई का एक खम्बा (किसी भी सिरे पर 45 सैंटीमीटर की परिधि सहित) उत्पादित नहीं हो सकता था। इन्हें चिन्हित सूचियों से विलुप्त किया जाना अपेक्षित था तथा उनके लिए रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जाना था। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने भी सितम्बर 2004 में स्पष्ट किया कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान अयोग्य घोषित किये गये वृक्षों के लिए लागू अन्य शर्तों के अतिरिक्त संयुक्त निरीक्षण में यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वृक्ष से एक मजबूत खम्बा/विशेष आकार का काष्ठखण्ड प्राप्त नहीं हो सकता।

चार* मण्डलों में यह पाया गया कि जुलाई 2000 तथा फरवरी 2005 के मध्य चिन्हित वृक्षों को काटने के पश्चात अयोग्य घोषित करने के लिए संयुक्त निरीक्षण किये गये। यद्यपि निरीक्षण के दौरान छूट प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊपरलिखित शर्तों को पूरा किया जाना प्रमाणित नहीं किया गया, फिर भी रॉयल्टी तथा बिक्री कर में 91.59 लाख रू0 की छूट स्वीकृत की गई। इससे इस सीमा तक के राजस्व की सरकार को हानि हुई।

5.2.16 ढ़ेरों को प्रभार में लेने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

मुख्य अरण्यपाल (टी)द्वारा मई 1985 में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, चिन्हित बचे हुए ढ़ेरों की चिन्हित सूची निगम के सम्बद्ध मण्डलीय प्रबन्धक को भेजी जानी है जो चिन्हित सूची की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर औपचारिक पावती भेजेगा। यदि 30 दिनों के अन्दर ऐसी कोई भी पावती प्राप्त नहीं होती है तो ढेर को सौंप दिया गया समझा जाएगा।

वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू के अभिलेख की लेखापरीक्षा के दौरान अक्तूबर 2005 में यह पाया गया कि 3,345.73 घनमीटर खड़े आयतन सहित देवदार/स्प्रूस तथा अन्य चौड़े पत्तों वाली प्रजाति के 846♣ वृक्षों से

---

* आनी: 29.80 लाख रू0, रामपुर: 54.50 लाख रू0; सुन्दरनगर: 1.88 लाख रू0 तथा ऊना: 5.41 लाख रू0

♣ देवदार/स्प्रूस: 706 वृक्ष: 2,949.53 घनमीटर, चौड़े पत्तों वाले: 140 वृक्ष: 396.20 घनमीटर

समाविष्ट एक बचे हुए ढ़ेर को जून 2001 में चिन्हित किया गया तथा चिन्हित सूचियां 2002-04 के दौरान दोहन करने के लिए 31 मार्च 2004 तक की पट्टा अवधि सहित निगम को 14 दिसम्बर 2001 को सौंपी गई। निगम ने सितम्बर 2003 में सूचित किया कि खड़े वृक्ष सड़ गये थे तथा उसने संयुक्त निरीक्षण हेतु अनुरोध किया जो विभाग द्वारा नहीं किया गया। निगम ने नवम्बर 2004 में अर्थात् पट्टा अवधि के समाप्त होने के पश्चात् पुन: सूचित किया कि देवदार/स्प्रूस के 123 वृक्ष गिराने के पश्चात खोखले पाये गये जिनके लिए मई 2005 में संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा 580.96 घनमीटर खड़े आयतन से समाविष्ट ये वृक्ष खोखले तथा सड़े हुए पाये गये। क्योंकि दोहन दो वर्षों से अधिक अवधि के समाप्त होने के पश्चात किया गया, 123 वृक्ष जो चिन्हित किये जाने के दौरान दोहनार्थ उपयुक्त थे मौसम की उच्छृखंलता में लगातार अनावृत अवस्था में पड़े रहने से खोखले/सड़ गए थे। विभाग के पक्ष से कार्रवाई में कमी तथा दोहन में देरी के फलस्वरूप 5.82 लाख रू0 के राजस्व की हानि हुई।

5.2.17 बिरोजा ब्लेजों में रायल्टी दरों का अल्प निर्धारण

एन ग्रेड बिरोजा की बिक्री दरों में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता के दृष्टिगत मूल्य निर्धारण समिति द्वारा बिरोजा ब्लेजों के लिए रॉयल्टी दरें निर्धारित की जाती है।

5.2.17.1 मूल्य निर्धारण समिति ने 2001-02 के लिए 27 रू0 प्रति ब्लेज की दर पर रॉयल्टी दर निर्धारित की। वर्ष 2000-01 के लिए दरें निर्धारित करते समय एन ग्रेड बिरोजा की बिक्री दर 29.64 रू0 प्रति किलोग्राम थी जबकि वर्ष 2001-02 के लिए वही दर 32.46 रू0 प्रति किलोग्राम थी। इस प्रकार, एन ग्रेड बिरोजा की बिक्री दर में 9.51 प्रतिशत की वृद्धि थी। वर्ष 2000-01 हेतु निर्धारित की गई 25 रू0 प्रति ब्लेज की रॉयल्टी दर को वर्ष 2001-02 के लिए 9.51 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था जो 27 रू0 के बजाए 27.38 रू0 बनती थी। रॉयल्टी दर के गलत निर्धारण के फलस्वरूप निगम द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान नि:स्रवण हेतु सौंपे गये 19.31 लाख ब्लेजों पर 7.34 लाख रू0 की रॉयल्टी की अल्प वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2005 में बताया कि 7.34 लाख रू0 के अन्तर की राशि के भुगतान का निस्तारण करने के लिए मामला निगम के साथ उठाया गया था।

5.2.17.2 इसी प्रकार वर्ष 2002-03 की तुलना में वर्ष 2003-04 के लिए एन ग्रेड बिरोजा की औसत बिक्री दर 1.94 रू0 कम हो गई जब बिक्री दर 29.88 रू0 थी। अत: एन ग्रेड बिरोजा की बिक्री दर में 6.49 प्रतिशत की कमी थी तथा तद्नुसार नि:स्रवण मौसम 2003-04 के लिए रॉयल्टी दर प्रति ब्लेज 23.38 रू0 आंकी गई। तथापि, मूल्य निर्धारण समिति ने दर 23 रू0 प्रति ब्लेज निर्धारित की जिसके फलस्वरूप 0.38 रू0 प्रति ब्लेज की दर से 21.50 लाख रू0 के ब्लेजों पर 8.17 लाख रू0 के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने के पश्चात विभाग ने मामला लागत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जिसने प्रत्युतर में वर्ष 2003-04 के लिए अक्तूबर 2005 में 23 रू0 से 23.38 रू0 प्रति ब्लेज की दरों का संशोधन किया।

5.2.18 समयवृद्धि फीस का भुगतान न करना

मूल्य निर्धारण समिति के निर्णय के अनुसार वनों के दोहन हेतु निगम के गठन से पूर्व ठेकेदारों पर लागू होने वाली निबंधन एवं शर्तें इस पर लागू होनी थी। तदनुसार पट्टावधि के समाप्त होने पर निगम का ऐसे वृक्षों पर जो वन में खड़े थे अथवा गिरा दिये गये थे और बिखरी पड़ी/चट्ठा लगाई गई इमारती लकड़ी को पट्टे पर दिये गये वन से हटाने का कोई अधिकार नहीं था बशर्ते इसकी पटटावधि अरण्यपाल/प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा बढ़ा दी गई हो। प्रदान की गई सभी समय वृद्धियों के लिए रॉयल्टी की शेष देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक दर से समय वृद्धि शुल्क उद्ग्राहय थी। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान था कि जहां रॉयल्टी का भुगतान किया गया था वहां कुल बिक्री मूल्य पर 0.2 प्रतिशत की मासिक दर से समयवृद्धि फीस उद्ग्राहय थी। द्वितीय एवं उसके पश्चात् समय वृद्धि हेतु उपरोक्त दरें क्रमश: दो प्रतिशत तथा 0.3 प्रतिशत मासिक थी। तथापि, समयवृद्धि प्रदान करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निगम ने 2001-02 से 2004-05 वर्षों के दौरान समय-समय पर 276 समूहों की कार्यचालन अवधि में समयवृद्धि की मांग की थी। तथापि समय वृद्धि प्रदान नहीं की गई तथा निगम ने दोहन का कार्य जारी रखा। अभिलेख में यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि ये मामले अंतिम रूप दिये जाने हेतु किस स्थिति में थे। इसके फलस्वरूप 1.04 करोड़ रू0 की समय वृद्धि शुल्क की वसूली नहीं हुई।

5.2.19 हरजाना बिलों की अदायगी से छूट

मूल्य निर्धारण समिति के दिनांक 4-12-1986 के निर्णय के अनुसार रेज़िन के संदर्भ में निगम तथा वन विभाग के स्टॉफ द्वारा क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण करने के उपरांत हरजाना[α] बिल तैयार करने अपेक्षित थे। यदि निगम का स्टॉफ संयुक्त निरीक्षण में सम्मिलित नहीं होता तो इस सूची को विभाग द्वारा तैयार किया जाना था तथा यह सूची वन मण्डल अधिकारी द्वारा मण्डलीय प्रबंधक को स्वीकृति हेतु भेजी जानी थी। वन मण्डल अधिकारी द्वारा ये सूचियां भेजने के एक मास के भीतर मण्डलीय प्रबंधक स्वीकृत सूचियां वापिस लौटाएगा। इस प्रकार की कोई स्वीकृति यदि एक मास के भीतर सूचित नहीं की जाती तो इन्हें स्वीकृत समझा जाएगा।

5.2.19.1 जुलाई 2003 में निगम द्वारा मूल्य निर्धारण समिति को भेजी गई कार्यसूची टिप्पणी का अवलोकन करने पर प्रकट हुआ कि वन मण्डल अधिकारियों ने दो मास तथा तीन वर्ष के मध्य के अंतराल के उपरांत सयुंक्त निरीक्षण करवाए बिना हरजाना से सम्बन्धित बिल भेजे। निगम ने ये हरजाना बिल स्वीकार नहीं किए। तद्नन्तर, मूल्य निर्धारण समिति ने निर्णय लिया कि निगम 27.78 लाख रू0 की कुल दायिता के प्रति वर्ष 1996, 1997 तथा 1998 के रेज़िन ब्लेजों के अस्वीकृत हरजाना बिलों के संदर्भ में वन विभाग को 5 लाख रू0 की एकमुश्त अदायगी करेगा। इस प्रकार समय पर कार्रवाई न करने के फलस्वरूप 22.78 लाख रू0 की हानि हुई। इसके अतिरिक्त 5 लाख रू0 की विलम्बित अदायगी के संदर्भ में विभाग द्वारा 0.66 लाख रू0 के ब्याज का दावा नहीं किया गया।

इसे इंगित करने पर विभाग ने संयुक्त निरीक्षण न करने का कोई कारण नहीं बताया तथा अक्तूबर 2005 में कहा कि ब्याज की हानि का निगम से दावा किया जाएगा।

5.2.19.2 वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू द्वारा नवम्बर 2003 में 2.78 लाख रू0 के हरजाना बिल[@] के प्रति गलत रूप से 4.40 लाख रू0 प्रभारित किए गए। इसे निगम द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तथापि, विभाग ने बिल का संशोधन करके इसे 2.78 लाख रू0 किया तथा जुलाई 2004 में इसे जारी किया गया जिसकी निगम द्वारा न तो स्वीकृति दी गई थी और न ही इसकी अदायगी की गई थी। विभाग ने भी इसके उपरांत अदायगी हेतु जोर नहीं डाला।

5.2.19.3 95.41 घनमीटर आयतन के देवदारू के 29 वृक्षों को अवैध रूप से गिराने के लिए वन मण्डल अधिकारी, पारबती द्वारा कम दरों पर 1.79 लाख रू0 का हरजाना बिल जुलाई 2002 में जारी किया गया। विभाग ने फरवरी 2003 में बिल का संशोधन करके इसे 17.01 लाख रू0 कर दिया। निगम ने अगस्त 2003 में वन मण्डल अधिकारी, पारबती को सूचित किया कि श्रम आपूर्ति मेटों[*] से 1.63 लाख रू0 की राशि की वसूली कर ली गई थी। तथापि इसने इस तर्क के आधार पर कि श्रम आपूर्ति मेट से विस्तार शुल्क की भी वसूली की जानी थी, इसे सरकारी लेखा में जमा नहीं करवाया। तदनंतर निगम ने विभाग को अपने स्तर पर राशि वसूल करने के लिए सूचित किया। वन मण्डल अधिकारी ने निगम को अदायगी करने के लिए कहा, क्योंकि हानि उनके द्वारा पहुंचाई गई थी। इसके उपरांत हरजाना बिल की अदायगी हेतु निगम पर जोर डालने के बजाय विभाग ने

α ब्लेजों के अवैध नि:स्राव अथवा परिमापों/विनिर्दिष्टियों के अनुसार उनका नि:स्राव न करने से रेज़िन ब्लेजों को पहुंचाई गई क्षति के संदर्भ में विभाग द्वारा निगम के प्रति हरजाना बिल उठाए जाते हैं।

@ ढेर संख्या 1/2003-04

* श्रम आपूर्ति मेट का तात्पर्य निगम द्वारा वन उत्पाद को गिराने, उसके रूपांतरण तथा उसे ढोने के लिए जुटाए गए किसी संविदाकार से है।

वास्तविक स्थिति ज्ञात करने तथा एक मास में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु जुलाई 2004 में एक समिति नियुक्त की। समिति द्वारा न तो कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही निगम ने कोई अदायगी की। इसके फलस्वरूप 17.01 लाख रू0 के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हो पाई।

5.2.20 रॉयल्टी की विलंबित अदायगी पर ब्याज

मूल्य निर्धारण समिति द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार निगम को रॉयल्टी की विलंबित अदायगियों पर 2003-04 तक 11.5 प्रतिशत मासिक की दर पर तथा 2004-05 से नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की अदायगी करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निगम ने 1999, 2001 तथा 2004 के दौरान रेज़िन ब्लेजों की रॉयल्टी की अदायगी में 177 दिन से 1,546 दिन का विलम्ब किया, जिसके लिए 13.61 लाख रू0 का ब्याज उदग्राहय था। विभाग ने न तो कोई मांग की और न ही निगम न कोई अदायगी ही की।

इसी प्रकार 18 वन मण्डल अधिकारियों* ने भी 2001-02 से 2004-05 वर्षों में इमारती लकड़ी के ढेरों की रॉयल्टी का विलम्ब से भुगतान करने हेतु 1.61 करोड़ रू0 की राशि के ब्याज का दावा प्रस्तुत नहीं किया था

रॉयल्टी की विलंबित अदायगियों पर ब्याज प्रभारित न करने के फलस्वरूप उपर्युक्त दो मामलों में 1.75 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित करने पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने अक्तूबर 2005 में बताया कि शीघ्रति-शीघ्र अदायगी के लिए निगम के साथ मामला उठाया जाएगा।

5.2.21 जब्त की गई इमारती लकड़ी पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

मूल्य निर्धारण समिति ने दिनांक 22.7.2003 को आयोजित की गई बैठक में निर्णय लिया कि निगम किसी भी परिस्थिति में 90 दिन के भीतर सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों को जब्त की गई इमारती लकड़ी की बिक्री के संदर्भ में प्राप्त की गई राशि नीलामी में निस्तारित करेगा। यदि 90 दिन के भीतर विक्रयागम जमा नहीं करवाया जाता तो निगम 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की अदायगी करने हेतु उत्तरदायी था।

यह पाया गया कि निगम ने 12.1.2000 तथा 19.3.2004 के मध्य की गई नीलामियों में जब्त की गई इमारती लकड़ी बेची, किन्तु नीलामियों के माध्यम से वसूल की गई 36.23 लाख रू0 का विक्रयागम 61 दिन से 207 दिनों के विलंब सहित 11.5.2000 तथा 7.12.2004 के मध्य जमा करवाया गया। जब्त की गई इमारती लकड़ी के विक्रयागम की राशि को विलंब से जमा करवाने पर ब्याज 2.74 लाख रू0 बनता था, जिसका न तो वन मण्डल अधिकारियों♣ द्वारा दावा किया गया और न ही निगम द्वारा इसकी अदायगी ही की गई।

इसे इंगित करने पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने दिसम्बर 2005 में वन मण्डल अधिकोरी चम्बा को ब्याज की बकाया राशि वसूल करने का निदेश दिया।

---

* आनी, बंजार, भरमौर, चम्बा, चुराह, चौपाल, डलहौजी, कोटगढ़, मण्डी, पांगी, पारबती, रामपुर, रिकांगपिओ, रोहड़ू, शिमला, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना।

♣ चम्बा, चौपाल, पारबती, रामपुर तथा ठियोग।

5.2.22 शास्ति का उद्ग्रहण न करना

मानक अनुबंध विलेख के खंड (छ) के अनुसार निगम को देय तिथियों को रॉयल्टी की किस्तों सहित बिक्री कर की अदायगी करना अपेक्षित था और ऐसा करने में विफल रहने पर देय बिक्री कर पर 18 प्रतिशत मासिक की दर से शास्ति की अदायगी करनी थी।

निगम ने रॉयल्टी की किस्तों के साथ बिक्री कर की अदायगी नहीं की। विलंब 17 तथा 150 दिन के मध्य का था, जिसके लिए निगम 65.21 लाख रू0 की शास्ति की अदायगी करने हेतु उत्तरदायी था, जिसका विभाग द्वारा उद्ग्रहण नहीं किया गया और इसके फलस्वरूप 65.21 लाख रू0 के राजस्व की हानि हुई।

5.2.23 रेज़िन ब्लेज़ों की कम सुपुर्दगी

5.2.23.1 प्रधान मुख्य अरण्यपाल के पत्र दिनांक 30.5.2000 अनुसार किसी विशेष वर्ष में रेज़िन ब्लेजों के निष्कासन हेतु सम्बन्धित अरण्यपाल का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित था। यह अनुमोदन नि:स्राव मौसम के प्रारम्भ होने तथा निगम को ब्लेज सौंपने से पूर्व प्राप्त करना अपेक्षित था।

यह पाया गया कि 11[♦] वन मण्डलों में 83,238 रेज़िन ब्लेज़ जिन्हें 2004 तथा 2005 के दौरान के नि:स्राव मौसम में निगम को सौंपा जाना था, उनका सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना गणना सूची से निष्कासन कर दिया गया। अत: ब्लेजों का निष्कासन अनियमित था, जिसके फलस्वरूप 19.72 लाख रू0 के राजस्व की हानि हुई।

5.2.23.2 प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा जारी किए गए दिनांक 22 जनवरी 1997 के अनुदेशों के अनुसार रेज़िन नि:स्राव हेतु चीड़ के वृक्षों का व्यास 1997 के नि:स्राव मौसम से तथा उससे आगे 30 सें0मी0 होगा। तथापि, प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने दिनांक 3 सितम्बर 2001 के अपने अनुदेशों में उन वृक्षों के संदर्भ में जिनका पहली बार नि:स्राव किया जाना था रेजिन नि:स्राव के लिए 2002 के रेज़िन नि:स्राव मौसम से लागू न्यूनतम व्यास 35 सें0मी0 नियत किया। पुराने वृक्ष जो पहले ही नि:स्रावाधीन थे अथवा जिन वृक्षों का पहले ही नि:स्राव किया जा चुका था किन्तु जिन्हें गणना हेतु छोड़ दिया गया था के लिए ब्रेस्ट ऊंचाई तथा इससे अधिक पर नि:स्राव योग्य व्यास 30 सेंमी0 ही रहेगा।

वन मण्डल अधिकारी, ऊना तथा नालागढ़ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान फरवरी 2006 से मार्च 2006 के मध्य यह पाया गया कि 30 सैं0मी0 तथा इससे अधिक व्यास के 13,696 चीड़ के वृक्षों की बिल्कुल भी गणना नहीं की गई थी तथा इन्हें 2000 तथा 2004 के मध्य के नि:स्राव मौसम में रेज़िन नि:स्राव हेतु निगम को नहीं सौपा गया था। इसके फलस्वरूप सरकार रॉयल्टी के संदर्भ में 16.69 लाख रू0 के राजस्व से वंचित रही।

इसके अतिरिक्त बिलासपुर मण्डल में 30 सें0मी0 तथा इससे अधिक व्यास के 2,37,899 वृक्ष 1.4.1994 को नि:स्राव हेतु उपलब्ध थे। इमारती लकड़ी का वितरण करते समय अधिकार धारकों[$] को चिन्हित किए गए तथा निगम को गिराने हेतु सौंपे गए बचेखुचे वृक्षों को सम्मिलित करते हुए 2000 तथा 2004 के मध्य नि:स्राव मौसम के दौरान 9,32,636 चीड़ के वृक्ष नि:स्राव हेतु उपलब्ध थे। इसके प्रति निगम को 4,25,461 चीड़ के वृक्ष नि:स्राव हेतु सौंपे गए। इसके फलस्वरूप 2000 से 2004 वर्षों के दौरान 5,07,175 चीड़ के वृक्ष कम सौंपे गए। इसके परिणामस्वरूप सरकार रॉयल्टी के 1.25 करोड़ रू0 के राजस्व से वंचित रही।

♦ चौपाल, देहरा, हमीरपुर, कुनिहार, मण्डी, नालागढ़, पालमपुर, पार्बती, रेणुकाजी, सोलन तथा ठियोग।

$ कोई व्यक्ति जो अपने गृह-निर्माण/मरम्मत हेतु किसी विशेष वन से वृक्ष प्राप्त करने का अधिकार रखता हो।

5.2.23.3 प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने जुलाई 1993 तथा जुलाई 2004 में अनुदेश दिए कि वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा मास में न्यूनतम दो बार तथा सहायक अरण्यपाल द्वारा एक मास में दो बार तथा जब वह दौरे पर हों तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा रेजिन नि:सार कार्यों की जांच करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा को दिखाए गए अभिलेखों में कोई जांच/निरीक्षण टिप्पणियां उपलब्ध नहीं थी। जांच न करने के फलस्वरूप निगम द्वारा भारी/दोषपूर्ण नि:स्राव के कारण 2000-01 से 2004-05 के दौरान नाहन मण्डल ने 41,660 चीड़ के वृक्ष नि:स्राव हेतु अयोग्य कर दिए गए थे। परिणामत: तद्नन्तर वर्षों में इन वृक्षों का नि:स्राव नहीं हो सका। इसके फलस्वरूप न केवल 10.20 लाख रू0 के राजस्व की हानि हुई, बल्कि तद्नंतर नि:स्राव हेतु वृक्ष दोषयुक्त भी हो गए।

5.2.24 रेज़िन नि:स्रावकर्ताओं से पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना

2002 में संशोधित हिमाचल प्रदेश रेजिन तथा रेजिन उत्पाद (व्यापार नियमन) अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निगम सहित प्रत्येक नि:स्रावकर्ता को प्रति ब्लेज 10 पैसे के पंजीकरण शुल्क की अदायगी करके सम्बन्धित मण्डल के साथ पंजीकृत होना होता है।

31[Ψ] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की जून 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य नमूना-जांच से प्रकट हुआ कि निगम द्वारा 2003, 2004 तथा 2005 के नि:स्राव मौसम के दौरान 64.52 लाख रेज़िन ब्लेजों का नि:स्राव किया गया। तथापि, विभाग ने निगम से 6.45 लाख रू0 के पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की। इसके फलस्वरूप 6.45 लाख रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हो पाई।

5.2.25 बांस का कार्य

बांस की फसल राज्य के आठ वन मण्डलों में की जाती है। बांस की फसल से सम्बन्धित कार्य योजना में निर्धारित तीन से चार वर्ष के गिरावट चक्र में बांस गिराए जाते हैं/उनका दोहन किया जाता है। बांस की फसल का यदि कार्य योजना के अनुसार देय समय पर दोहन न किया जाए तो यह शीघ्र ही खराब/सड़ जाने को अधोन्मुख हो जाती है। कार्ययोजना में किसी प्रकार के विचलन का सरकार से अनुमोदन करवाना अपोक्षित है। बांस की फसल का दोहन न करने से बांस की झाड़ियों/झुरमुटों की नई फसल जिनसे भविष्य में बांस की फसल तैयार होती है, में बाधा आती है।

बांस की फसल का दोहन निगम द्वारा किया जा रहा है। निगम को दोहनार्थ सौपे गए खेपों के सम्बन्ध में वर्ष 2000-01 तथा उससे आगे बांस की सकल बिक्री पर 20 प्रतिशत की दर से (2004 -05 तथा उससे आगे इसमें संशोधन करके सकल बिक्री का 30 प्रतिशत किया गया) रॉयल्टी देय थी।

फरवरी तथा मार्च 2006 के मध्य आठ वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नवत् अनियमितताएं उद्घाटित हुईं:

Ψ आनी, बंजार, बिलासपुर, चम्बा, चौपाल, चुराह, डलहौजी, देहरा, धर्मशाला, हमीरपुर, जोगिन्द्रनगर, करसोग, कोटगढ़, कुनिहार, मण्डी, नाचन, नाहन, नालागढ़, नुरपूर, पालमपुर, पांवटा साहिब, राजगढ़, रामपुर, रिकांगपिओ, रेणुकाजी, रोहड़ू, शिमला, सोलन, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना

निगम द्वारा बांस की फसल का दोहन न करना

बांस की फसल का दोहन क्षेत्रीय गणना पर आधारित होता है। कार्य योजना अधिकारी किसी विशिष्ट मण्डल की योजना में बांस की फसल के दोहन कार्य के लिए उन्हें गिराने से सम्बन्धित चक्र का निर्धारण करता है। इन सिद्धान्तों के आधार पर बांस की फसल को तीन से चार वर्ष के गिराने से सम्बन्धित चक्र में गिराया जाता है/ उनका दोहन किया जाता है।

5.2.25.1 तीन[∞] मण्डलों में 2002-03 तथा 2004-05 के मध्य निगम को सौंपे गए 2,381.06 हैक्टेयर बांस के वनों के क्षेत्र में बांस के झुरमुट उपलब्ध न होने के कारण उनका दोहन नहीं किया गया। क्योंकि बांस का पातन कार्य योजना में निर्धारित था, अत: बांस की फसल न होने की जांच करना अपेक्षित था। तथापि, विभाग ने बांस की फसल पैदा न होने की जांच नहीं की। इससे यह प्रकट होता है कि या तो कार्य योजना के निर्धारण दोषपूर्ण थे अथवा वन से बांस की फसल को अवैध रूप से गिराया/हटाया गया जिसका विभाग को पता ही नहीं चल पाया।

इसके फलस्वरूप 13.69 लाख रू0 राशि (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी की वसूली नहीं हो पाई।

5.2.25.2 नूरपुर वन मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि मण्डल की अनुमोदित कार्य योजना में निर्धारित बांस की फसल गिराने से सम्बन्धित चक्र के अनुसार 1996-97 तथा 2006-07 के मध्य बांस के वनों का 177.24 हैक्टेयर क्षेत्र बांस की फसल गिराने के लिए निर्धारित किया गया था। किन्तु कभी भी इस प्रकार की बांस की फसल को गिराने का कार्य नहीं किया गया क्योंकि इन्हें पातन हेतु निगम को नहीं सौंपा गया था। इसके परिणामस्वरूप 2002-03 वर्षों में न केवल 2.39 लाख रू0 (0.55 लाख रू0 के बिक्री कर सहित) के राजस्व की हानि हुई, किन्तु इससे बांस की आगामी फसल के लिए भी बाधा उत्पन्न हुई। बांस के क्षेत्रों को न सौंपने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

5.2.25.3 वन मण्डल अधिकारी, ऊना ने चार वर्ष के बांस की फसल के पातन से सम्बन्धित चक्र के अन्तर्गत झाड़ियों के झुरमुट से सम्बन्धित कार्य वृत्त में पड़ने वाले बांस की फसल के 118.96 हैक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अरण्पाल, धर्मशाला को सितम्बर 1997 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जुलाई 1999 में अरण्यपाल (कार्ययोजना) द्वारा यह प्रस्ताव इस तर्क पर अस्वीकृत कर दिया गया कि योजना के अन्तर्गत जिसका अभी अनुमोदन किया जाना था, किसी भी बांस की फसल को गिराना प्राधिकृत नहीं किया जा सकता था, अत: प्रधान मुख्य अरण्पाल का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित था। वन मण्डल अधिकारी ने प्रधान मुख्य अरण्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जुलाई 1999 में अरण्पाल को पुन: अनुरोध किया। तथापि कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ तथा 2004-05 के दौरान बांस की फसल नहीं गिराई जा सकी। इसके फलस्वरूप 8.80 लाख रू0 (बिक्री कर सहित) के राजस्व की हानि हुई।

5.2.26 बांस की फसल का कम उत्पाद होने के कारण राजस्व का त्याग करना

सोलन मण्डल की कार्य योजना के अनुसार धर्मपुर परिक्षेत्र के क्षेत्रों सहित लूगों क्षेत्र के लिए 350 बण्डल प्रति हैक्टेयर, परवाणु क्षेत्र के लिए 300 बण्डल प्रति हैक्टेयर तथा पौधरोपण क्षेत्र में 750 बण्डल प्रति हैक्टैयर बांस की फसल का उत्पादन था। इस प्रकार न्यूनतम उत्पादन 300 बण्डल प्रति हैक्टेयर निर्धारित किया गया था।

वन मण्डल अधिकारी, सोलन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बांस की फसल के वनों के 1,463 हैक्टेयर क्षेत्र से अंतर्ग्रस्त पांच खेप 2000-01 से 2004-05 के दौरान निगम को दोहनार्थ सौंपे गए। 300 बण्डल प्रति हैक्टेयर के न्यूनतम उत्पादन के आधार पर कार्य योजना में किए गए निर्धारण के अनुसार

∞ बिलासपुर, कुनिहार तथा नालागढ़

अनुमानित उत्पादन 4,38,900 बण्डल बनता था, जिसके प्रति निगम ने केवल 1,99,349 बण्डलों का उत्पादन किया था। इसके फलस्वरूप 2,39,551 बण्डल का कम उत्पादन हुआ तथा परिणामत: 39.20 लाख रू0 (बिक्री कर सहित) के राजस्व का त्याग किया गया।

5.2.27 इमारती लकड़ी के परिवहन में विलंब के कारण हानि

विभाग द्वारा निगम को सौंपे गए ढेरों से निगम इमारती लकड़ी निकालता है। इस प्रकार से निकाली गई इमारती लकड़ी को "क" अथा "ख" श्रेणी की इमारती लकड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वनों से कोई भी "ग" श्रेणी की इमारती लकड़ी नहीं निकाली जाती। इस प्रकार से निकाली गई इमारती लकड़ी को उसे निकालने के दो मास के भीतर निगम के बिक्री डिपुओं में ले जाना अपेक्षित होता हे। इमारती लकड़ी का वन से बिक्री डिपुओं को परिवहन में विलम्ब करने से इमारती लकड़ी की गुणवत्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। तथापि, निगम ने इमारती लकड़ी के परिवहन में उसे निकालने की तिथि से उसका परिवहन करने की तिथि तक तीन मास से दो वर्ष तक का विलंब किया था तथा इस अवधि के दौरान "ख" श्रेणी की इमारती लकड़ी का "ग" श्रेणी की इमारती लकड़ी में रूपांतरण हो गया।

2001-2003 वर्षों के दौरान मंतारूवाला, नूरपुर तथा बद्दी स्थित डिपुओं ने "ग" श्रेणी की इमारती लकड़ी के रूप में 1,149.226 घनमीटर देवदार, 6,624.650 घनमीटर कैल तथा 10,472.752 घनमीटर देवदारू तथा 17,391.62 घनमीटर चीड़ बेची, जिसके फलस्वरूप "ख" श्रेणी की इमारती लकड़ी की तुलना में रॉयल्टी की अल्प वसूली हुई। परिणामत: भारित औसत बिक्री दरें भी प्रभावित हुई। परिणामस्वरूप अन्तत: वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 वर्षों में भारित औसत बिक्री दरों के रूप में नियत की गई रॉयल्टी की दरें कम थी। इसके फलस्वरूप सरकार को 6.38 करोड़ रू0 के राजस्व की हानि हुई।

5.2.28 निष्कर्ष

समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि रॉयल्टी की दरें नियत करने के लिए विभाग ने निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की। बकायों के शुद्ध लेखांकन पर अनुश्रवण का अभाव था जिसका निगम के साथ समाधान करना अपेक्षित था। राजस्व प्राप्तियों का समय पर संग्रहण तथा वन उत्पाद, आदि का निपटान सुनिश्चित करने हेतु एक दृढ़ तंत्र विकसित करना अपेक्षित है।

5.2.29 आभार प्रकटन

हम विभाग तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं पर उनके द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु अपना आभार प्रकट करते हैं। 11 जुलाई 2006 को आयोजित अंतिम बैठक में प्रधान सचिव (वन) के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते समय सरकार ने सभी देय राशियों की समय पर वसूली, विभाग के आंतरिक नियंत्रणों का सुदृढ़ीकरण तथा बकायों की शुद्ध यथार्थ स्थिति का चित्रण करने हेतु निगम के साथ आंकड़ों का मिलान करने का आश्वासन दिया। समीक्षा का प्रारूपण करते समय विभाग तथा सरकार से प्राप्त उत्तर दृष्टिगत रखे गए हैं।

5.3 भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलीयोग्य बकायों की वसूली

परिचय

5.3.1 वन विभाग अपने विभाग से सम्बन्धित देयों की वसूली हेतु उत्तरदायी है। यदि विभाग के पास उपलब्ध किसी भी साधन के द्वारा सरकारी देयों की वसूली न की जा सकती हो तो ऐसे बकायों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित किया जाता है तथा इन्हें सम्बन्धित जिला के समाहर्ता अथवा जिस अधिकारी को हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 की अधिनियम संख्या 6) के अंतर्गत उपलब्ध एक अथवा अधिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए वसूली की कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया हो, के पास स्थानान्तरित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार (राजस्व विभाग) ने पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कांगड़ा तथा शिमला जिलों के वन मण्डल अधिकारियों को अपने-अपने मण्डलों के क्षेत्राधिकार में समाहर्त्ता की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु मार्च 1977 में समाहर्त्ता की शक्तियां प्रत्यायोजित की। राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अनुसार जब किसी चूककर्त्ता की सम्पत्ति उस जिला जिसमें बकाया प्रोदभूत होता है, के अतिरिक्त अन्य जिला में हो तो समाहर्त्ता उस जिला जहां पर चूककर्ता की सम्पत्ति स्थित हो, के समाहर्ता को निर्धारित प्रपत्र में भू-रास्व की वसूली हेतु जैसे कि यह उसके अपने जिले में प्रोदभूत हुई हो, एक प्रमाणपत्र प्रेषित कर सकता है।

विभाग में बकायों के लंबन से सम्बन्धित स्थिति

5.3.2 वन विभाग द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 31 मार्च 2005 को 2.18 करोड़ रू0 की राशि से अन्तर्ग्रस्त 144 मामले भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली हेतु लंबित थे।

अरण्यपालों द्वारा प्रधान मुख्य अरण्यपाल को भेजी गई वृत्तवार सूचना का प्रधान मुख्य अरण्यपाल के आंकड़ों से तुलना करने पर लंबन की स्थिति में निम्नवत् विसंगति उद्घाटित हुई:-

(लाख रूपये)

क्रमांक	वृत्त का नाम	प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा सूचित की गई बकायों की स्थिति		सम्बन्धित अरण्यपालों द्वारा उपलब्ध करवाई गई बकायों की स्थिति		अन्तर (+) अथवा (-)	
		राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले
1	चम्बा	87.55	33	128.73	22	(-)41.18	(+)11
2	नाहन	5.40	7	5.73	8	(-)0.33	(-)1
3	शिमला	47.32	66	37.84	68	(+)9.48	(-)2

प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा कभी भी अरण्यपालों को आंकड़ों में विसंगति इंगित नहीं की गई, यद्यपि उनके कार्यालय में बकायों से सम्बन्धित तिमाही प्रतिवेदन प्राप्त किए जा रहे थे।

इसे इंगित करने पर विभाग ने अक्तूबर 2005 में बताया कि सम्बन्धित अरण्यपालों के साथ अंतरों का समाधान किया जा रहा था। आगामी उत्तर अभी तक (सितम्बर 2006) प्रतीक्षित था।

राज्य के समाहर्त्ताओं के पास लम्बित मामले

5.3.3 राज्य में 16.91 लाख रूपये की राशि के नौ मामलों का समाहर्त्ताओं के माध्यम से अनुसरण किया जा रहा था। इनमें से वन मण्डल अधिकारी, रोहडू के 1964-65 से 1980-81 तक की अवधि से सम्बन्धित 1.46 लाख रू0 की राशि के चार मामलों में समाहर्त्ता, शिमला द्वारा समाहर्त्ता, कुल्लू को मार्च 1985 में अवसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया था। वसूली की प्रगति सुनिश्चित करने के लिये वन मण्डल अधिकारी द्वारा नवम्बर 2000 में अन्तिम अनुस्मारक जारी किया गया। तदोपरान्त वन मण्डल अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तथापि, जून 2005 में समाहर्त्ता के अभिलेखों में किसी भी मामले को बकाया नहीं दर्शाया गया था। इस प्रकार इन मामलों की प्रास्थिति ज्ञात नहीं थी। 15.45 लाख रू0 के शेष पांच मामले जो कि वन मण्डल अधिकारी, चौपाल से सम्बन्धित थे, को समाहर्त्ता, शिमला के पास सितम्बर 1988 से लंबित बताया गया और इनका अनुसरण नहीं किया गया था। तथापि, समाहर्त्ता, शिमला ने अपने पास 0.05 लाख रूपये का केवल एक मामला लंबित दर्शाया। शेष चार मामलों की प्रास्थिति ज्ञात नहीं थी तथा विभाग द्वारा वास्तविक स्थिति का समाधान तथा निर्धारण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किये गए थे।

अन्य राज्यों के समाहर्त्ताओं के पास लंबित मामले

5.3.4 अन्य राज्यों के समाहर्त्ताओं के पास 65.15 लाख रू0 की राशि के सत्रह मामले भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु लम्बित थे,जिनका विवरण निम्नवत् है:

(लाख रूपये)

क्रमांक	वन मण्डल अधिकारी का नाम	अवधि	अभ्युक्तियां	राशि
1.	भरमौर, चुराह, डलहौजी	1960-61 से 1982-83	समाहर्त्ता चम्बा द्वारा 1964 तथा 1994 के मध्य बारह मामले पंजाब तथा हरियाणा के समाहर्त्ताओं के पास भेजे गए। अन्य राज्यों के समाहर्त्ताओं के पास मामले भेजने की वास्तविक तिथि ज्ञात नहीं थी। राशी की वसूली हेतु की गई कार्रवाई दर्शाने के लिए अभिलेखों में कुछ नहीं था।	27.61
2.	रामपुर	अप्रयोज्य	जुलाई 2000 तथा जुलाई 2001 के मध्य वन मण्डल अधिकारी द्वारा समाहर्त्ता, अम्बाला, जालन्धर तथा यमुनानगर से तीन मामले वापस लौटाए गए प्राप्त किए गए, क्योंकि चूककर्त्ताओं के पते गलत थे। चूककर्त्ताओं को ढूंढने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई।	36.63
3.	धर्मशाला	अप्रयोज्य	जून 1986 में मामला समाहर्त्ता, चण्डीगढ़ को भेजा गया, किन्तु गलत पते के कारण वसूली नहीं की जा सकी। सितम्बर 2000 में मामला पुन: भेजा गया। किसी राशि की वसूली नहीं की गई थी (सितम्बर 2006)।	0.55
4.	रोहडू	अप्रयोज्य	जून 1996 में मामला समाहर्त्ता, अम्बाला को प्रेषित किया गया। कोई राशि वसूल नहीं की गई (सितम्बर 2006)।	0.36
	योग:			65.15

विभाग के पास लंबित मामले

5.3.5 विभागीय अधिकारियों के पास 69.82 लाख रूपये की राशि के बत्तीस मामले वसूली हेतु लंबित थे। वन मण्डल अधिकारियों, कांगड़ा तथा शिमला को शक्तियां प्रत्यायोजित करने पर भी गैर-वसूली प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिनका विवरण निम्नवत् है:

(लाख रूपये)

वन मण्डल अधिकारी का नाम	अवधि	मामलों की संख्या	राशि
रोहड़ू	1964-65 से 1980-81	3	2.87
चौपाल	1959-60 से 1988-89	15	14.87
नुरपूर	1978-79 से 1982-83	4	20.58
रामपुर	अप्रयोज्य	4	30.51
कोटगढ़	1979 से अप्रयोज्य	5	0.81
धर्मशाला	अप्रयोज्य	1	0.18

उपरोक्त से यह देखा जाएगा कि विभागीय कार्रवाई के अभाव के फलस्वरूप बकाया देय की वसूली नहीं हुई थी।

5.4 परमिट फीस का अनुदग्रहण

हिमाचल प्रदेश में लागू तथा 3 सितम्बर 2001 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत जारी दिनांक 20 अगस्त 2001 की अधिसूचना के अनुसार औषधीय गुणयुक्त खैर सारकाष्ट/टुकड़े तथा खैर के लट्ठों (छाल सहित) के व्यापारियों को क्रमश: 250 रूपये प्रति क्विंटल तथा 175 रूपये प्रति क्विंटल की दर से निर्यात परमिट* फीस अदा करनी अपेक्षित थी। तथापि, दिनांक 19 अक्तूबर 2004 की अधिसूचना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार ने खैर की लकड़ी के अंतर्राज्यीय परिवहन पर निर्यात परमिट फीस के उद्ग्रहण पर प्रतिबंध लगा दिया। तदनुसार, खैर की लकड़ी के अन्तर्राज्यीय परिवहन पर 18 अक्तूबर 2004 तक निर्यात परमिट फीस उद्ग्राहय थी।

फरवरी 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य 9$ वन मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वन मण्डल अधिकारियों ने अप्रैल 2003 तथा अक्तूबर 2004 के मध्य निर्यात परमिट फीस के उद्ग्रहण बिना खैर की लकड़ी के 37,730.0912♥ क्विंटल अन्तर्राज्यीय निर्यात हेतु 147 पास जारी किये। परिणामत: 78.36 लाख रूपये के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हो पाई।

इसके अतिरिक्त निगम के छ:♦ मण्डलीय प्रबन्धकों से एकत्रित की गई सूचना से उद्घाटित हुआ कि निगम ने अक्तूबर 2001 से 18 अक्तूबर 2004 के दौरान 39,310.41 क्विंटल खैर की लकड़ी के निर्यात हेतु राज्य ने 160 परमिट जारी किये। तथापि, निगम द्वारा कोई निर्यात शुल्क प्रभारित नहीं किया गया। विभाग ने निगम द्वारा जारी

---

* निर्यात परमिट: यह एक पास है जो उस अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जो इमारती लकड़ी अथवा अन्य वन उत्पाद के आयात अथवा निर्यात अथवा ले जाने का विनियमन करने हेतु प्राधिकृत होता है।

$ बिलासपुर, देहरा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुनिहार, नाहन, नूरपुर, राजगढ़ तथा ऊना।

♥ खैर सारकाष्ट/टुकड़े: 16,437.8212 क्विंटल, खैर के लट्ठे (छाल सहित): 21,292.27 क्विंटल ।

♦ हमीरपुर, धर्मशाला, फतहपुर, नाहन, सोलन तथा ऊना।

किये गये परमिटों के संदर्भ में निगम को निर्यात परमिट शुल्क की अदायगी करने के लिये भी नहीं कहा। इसके फलस्वरूप 89.74 लाख रूपये के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हो पाई।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने मई 2005 में राजगढ़ मण्डल के बारे यह बताया कि ऐसा 20 अगस्त 2001 की अधिसूचना में चूक के फलस्वरूप हुआ था, जिसकी दिनांक 19 अक्तूबर 2004 की अधिसूचना में तदनन्तर शुद्धि कर ली गई थी। इसके अतिरिक्त बताया गया कि अधिसूचना को 2001 से प्रभावी करवाने हेतु मामला सरकार के साथ उठाया गया था। सरकार का उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि विभाग द्वारा 18 अक्तूबर 2004 तक अर्थात् संशोधन जारी करने की तिथि से पूर्व तक परमिट फीस की वसूली करना अपेक्षित था।

मामले सरकार को मार्च 2005 तथा अप्रैल 2006 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2006)।

5.5 बाड़ के खम्बों की लागत प्रभारित न करना

वन विभाग, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उपयोक्ता अभिकरण को गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु हस्तान्तरित किए गए क्षेत्र से दोगुणा क्षेत्र में वन रोपण कार्य निष्पादित करता है। विभागीय अनुदेशों के अनुसार प्रतिपूरक वन रोपण के लिये अपेक्षित बाड़ के खम्बों की लागत उपयोक्ता अभिकरण से वसूल करके सम्बन्धित शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व के रूप में जमा करनी अपेक्षित होती है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश ने एक हैक्टेयर पौधारोपण क्षेत्र में बाड़ के लिये 70 बाड़ खम्बों का मानक नियत किया था (अगस्त 1995)।

चार[▲] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान मार्च 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य यह पाया गया कि 136.41 हैक्टेयर में प्रतिपूरक पौधारोपण के लिये अपेक्षित 9,549 बाड़ के खम्बों की लागत[•] उपयोक्ता अभिकरण से अप्रैल 2003 तथा मार्च 2005 के मध्यावधि के दौरान प्रभारित नहीं की गई थी। जिसके फलस्वरूप सरकार को 12.41 लाख रूपये (बिक्री कर सहित) के राजस्व की हानि हुई।

इसे इंगित करने पर वन मण्डल अधिकारी, रेणुकाजी ने सितम्बर 2005 में बताया कि उपयोक्ता अभिकरण को बाड़ के खम्बों की लागत जमा करवाने के लिये कहा जा रहा था, जबकि वन मण्डल अधिकारी, करसोग ने अप्रैल 2006 में सूचित किया कि बिल जुटा दिया गया था। वसूली की सूचना प्रतीक्षित थी। तथापि, अन्य मण्डलों से उत्तर प्रतीक्षित था।

अप्रैल 2005 तथा अप्रैल 2006 के मध्य ये मामले विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2006)।

5.6 इमारती लकड़ी के वितरण में अनाधिकृत रूप से वृक्ष प्रदान करना

दिसम्बर 1986 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार वन तथा भू-राजस्व बन्दोबस्त के प्रावधानों तथा समय-समय पर विभाग द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार इमारती लकड़ी का कड़ाई से वितरण किया जाना था। वन मण्डल अधिकारी द्वारा इमारती लकड़ी के मांग के संदर्भ में सम्बन्धित पंचायत के सरपंच तथा वन

▲ करसोग, रामपुर, रेणुकाजी तथा रोहडू।

• विभाग द्वारा जुटाए गए बिलों के आधार पर 100 रूपये प्रति बाड़ के खम्बें की दर से बाड़ के खम्बों की लागत की गणना की गई है।

क्षेत्रीय स्टॉफ की सिफारिशों के आधार पर अधिकार धारकों को इमारती लकड़ी के वितरण में वृक्ष प्रदान किये जाते हैं। क्षेत्रीय स्टॉफ द्वारा इन अनुदेशों से किसी प्रकार का विचलन अनियमित/अनाधिकृत है।

वन मण्डल अधिकारी, ठियोग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जून 2005 में यह पाया गया कि दिसम्बर 2003 के दौरान 26.158 घनमीटर खड़े आयतन के 11 देवदार वृक्षों को गिराने के लिये अधिकार धारकों को परमिट जारी किये गये। अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ये वृक्ष चिन्हित थे तथा वन मण्डल अधिकारी की संस्वीकृति के बिना इन्हें इमारती लकड़ी के वितरण के समय इनका वितरण किया गया। इस प्रकार निर्धारित जांच-पड़ताल करने में विफल रहने के फलस्वरूप 8.70 लाख रूपये की हानि हुई।

इसे इंगित करने पर वन मण्डल अधिकारी ठियोग ने जनवरी 2006 में सूचित किया कि कार्य के अधिक दबाव के कारण इमारती लकड़ी के असंस्वीकृत आवेदन पत्रों का पता नहीं चल सका तथा नित्यचर्या के रूप में वृक्षों का चिन्हन किया गया था/परमिट जारी किये गये थे।

जुलाई 2005 में ये मामले विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2006)।

5.7 कालातीत मामलों के कारण राजस्व की हानि

दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार कोई भी न्यायालय एक वर्ष की अवधि बीत जाने के उपरांत वन अपराध के मामले में कार्रवाई नहीं करेगा। अतः वन अपराध से सम्बन्धित मामलों में या तो एक वर्ष के भीतर कोई सुलह समझौता के आधार पर इनका समाधान करना होता है अथवा एक वर्ष के भीतर इनके संदर्भ में विधि न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना होता है। वन मण्डल द्वारा अरण्पाल को वन अपराधों से सम्बन्धित स्थिति इंगित करते हुए एक तिमाही प्रगति प्रतिवेदन भेजना अपेक्षित होता है।

वन मण्डल अधिकारी, डलहौजी की अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जुलाई 2005 के दौरान यह पाया गया कि 1999-2000 तथा 2003-2004 के मध्य अवैध रूप में वृक्ष गिराने से सम्बन्धित 3.50 लाख रूपये के 25 क्षति प्रतिवेदन अपराधियों के विरूद्ध जारी किये गये। तथापि, विभाग एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर इनके संदर्भ में सुलह-समझौता करने अथवा विधि न्यायालय में ले जाने में विफल रहा। इस प्रकार इन मामलों के कालातीत हो जाने के कारण अपराधियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके फलस्वरूप सरकार को 3.50 लाख रूपये की हानि हुई।

अगस्त 2005 में ये मामले विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किए गए ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2006)।

5.8 क्षतियों एवं क्षतिपूर्ति का अवनिर्धारण

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 68 के अनुसार वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू ने मण्डल में विभिन्न अपराधों का सुलह-समझौते के आधार पर समाधान करने हेतु क्षतिपूर्ति की दरें नियमित की थी। पत्थर का अवैध रूप से निष्कासन/संग्रह करने के लिए क्षतिपूर्ति की दर 50 रूपये प्रति घनमीटर थी, जबकि प्रभारित किया जाने वाला वन उत्पादन का मूल्य 250 रूपये प्रति घनमीटर अथवा बाजारी मूल्य, जो भी अधिक हो, था। दूसरे तथा तदनन्तर अपराध के लिए दुगनी दर प्रभारित की जानी थी।

वन मण्डल अधिकारी कुल्लू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान अक्तूबर 2005 में यह पाया गया कि नवम्बर 2003 तथा अगस्त 2004 के मध्य जल विद्युत परियोजना द्वारा पत्थरों का अवैध रूप से निष्कासन, कूड़ा करकट एकत्रित करने के कारण बाल वृक्षों को हानि, आदि जैसे 12 वन अपराध किये गये थे। संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि परियोजना द्वारा किए गए अपराध दूसरी बार तथा तदनन्तर किए गए अपराध थे, जिसके लिए

क्षतिपूर्ति की दुगनी दरें प्रयोज्य थी। अतः क्षतिपूर्ति तथा वन उत्पाद के मूल्य के संदर्भ में परियोजना 4.83 लाख रूपये (बिक्री कर सहित) की अदायगी करने हेतु देनदार थी। इसके प्रति मण्डल ने इस संदर्भ में केवल 2.41 लाख रू0 की वसूली की। इसके फलस्वरूप 2.42 लाख रूपये के राजस्व की अल्प वसूली हुई।

नवम्बर 2005 में यह मामला/सरकार को प्रतिवेदित किया गया ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2006)।

5.9 सावधि जमा में निधियां न रखने के कारण ब्याज की हानि

भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अनुदेशों (22 मार्च 2004) के अनुसार जब तक प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन तथा योजना अभिकरण कार्य करना प्रारम्भ नहीं कर देते तथा जब तक केन्द्रीय सरकार से आगामी आवश्यक निदेश प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक प्रतिपूरक वन रोपण, निवल वर्तमान मूल्य, आवाह क्षेत्र उपचार योजना आदि से सम्बन्धित निधियां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी अथवा राज्य के केन्द्रक अधिकारी (वन संरक्षण) के नाम से सावधि जमा के रूप में रखी जानी थी।

केन्द्रीय सरकार ने परामर्श दिया (22.06.2004) की राज्य/संघ शासित सरकारें प्रतिपूरक वन रोपण तथा ऐसे अन्य निर्माण कार्यों के प्रयोजनार्थ सावधि जमा को अपनी आवश्यकता अनुसार तुड़वा सकती हैं तथा सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के नाम से एक चालू खाता खुलवा सकती है। बकाया राशि का सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी अथवा केन्द्रक अधिकारी के नाम पर सावधि जमा के रूप में अनुरक्षण किया जा सकता है तथा सावधि जमाओं के रूप में बकाया राशि का उपयोग करने के लिए केन्द्रक अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रतिपूरक वन रोपण व निवल वर्तमान मूल्य के संदर्भ में प्राप्त धनराशियों तथा वसूल की जाने वाली अन्य धनराशियों के प्रबन्धन हेतु पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय द्वारा प्रतिपूरक वन रोपण प्रबन्धन तथा योजना अभिकरण का संविधान अधिसूचित किया गया (23 अप्रैल 2004)।

17[♣] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान जनवरी 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य यह पाया गया कि 2003-2004 से 2005-2006 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोक्ता अभिकरणों से प्रतिपूरक वन रोपण, आवाह क्षेत्र उपचार योजना, निवल वर्तमान मूल्य आदि के लिये 42.58 करोड़ रू0[*] की राशि प्राप्त हुई। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि इनमें से सावधि जमाओं में रखे गए 25.55 करोड़ रूपये का फरवरी तथा अक्तूबर 2005 के मध्य नकदीकरण करवाया गया तथा इन्हें खजाने में राजस्व शीर्ष "0406-800-अन्य प्राप्तियां" के अन्तर्गत जमा करवाया गया, जबकि मार्च 2004 तथा नवम्बर 2005 के मध्य 17.03 करोड़ रूपये सीधे खजाने में राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत जमा करवाये गये क्योंकि राज्य वित्त विभाग ने यह मत प्रकट किया था कि ऐसी निधियों को असीमित अवधि के लिये सावधि जमाओं में रखना राज्य वित्त नियमों का उल्लंघन होगा। 42.58 करोड़ रूपये की राशि सावधि जमाओं में रखने के बजाय सरकारी खजाने में जमा करवाने के कारण सरकार को मार्च 2004 तथा मार्च 2006 के मध्य 2.46 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुई (खजाने में जमा करवाने की तिथि से पांच प्रतिशत वार्षिक की दर से गणना की गई)।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (फरवरी 2005 तथा अप्रैल 2006 के मध्य) सरकार ने प्रधान मुख्य अरण्यपाल का उत्तर संलग्न किया (सितम्बर 2006), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि भारत सरकार के 22 मार्च 2004 के अनुदेशों को अल्पावधि के लिये केवल एक काम चलाऊ प्रबन्धन के रूप में लिया गया था, न कि इन्हें स्थायी अनुदेशों के रूप में सदैव के लिये वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद भी जारी रहना था। क्योंकि प्रतिपूरक वन रोपण प्रबन्धन तथा योजना अभिकरण वित्त वर्ष के समाप्त होने तक भी सक्रिय नहीं हुआ,

---

♣ भरमौर, चम्बा, चुराह, डलहौजी, धर्मशाला, जोगिन्द्रनगर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्थित केलांग, मण्डी, नाचन, पारवती, रेणुकाजी, रोहडू, सिराज, शिमला तथा ठियोग।

* 2003-2004: 7.26 करोड़ रूपये, 2004-2005: 23.31 करोड़ रूपये, 2005-2006:12.01 करोड़ रूपये।

अत: ऐसी अवस्था में वन मण्डल अधिकारियों द्वारा वसूल की गई तथा सावधि जमाओं में रखी गई राशियों का उनके अभिलेखों में लेखांकन तथा लेखापरीक्षा न हुई होती तथा इस प्रकार राज्य वित्त विभाग के अनुदेशों (14 अक्तूबर 2004) के अनुसार ये राशियां खजाने में जमा कराई गई। इन अनुदेशों के होते हुए अन्य सभी अनुदेश प्रभावशून्य रहेंगे।

नियमों की उपयोगिता के विनियमन तथा अनुश्रवण पर भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के दिनांक 22 मार्च 2004 के विशिष्ट अनुदेशों के इसके अतिरिक्त 22 जून 2004 को जारी किए गए स्पष्टीकरण के कारण उत्तर तर्क संगत नहीं है। सरकारी खजाने में राशियां जमा करवाने की राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई मंत्रालय द्वारा इस विषय पर निर्धारित अपेक्षाओं के प्रतिकूल थी, क्योंकि प्रतिपूरक वन रोपण प्रबन्धन तथा योजना अभिकरण के अन्तर्गत वसूल की गई निधियां प्रतिपूरक वन रोपण तथा आवाह क्षेत्र उपचार योजना, आदि के लिए थी तथा इन्हें राज्य सरकार के राजस्व के रूप में नहीं लिया जाना था।

इसके अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल से मई 2006 में एकत्रित की गई सूचना से उद्घाटित हुआ कि वन विभाग ने आवाह क्षेत्र उपचार योजना, निवल वर्तमान मूल्य, आदि के संदर्भ में आठ वृत्तों के विभिन्न वन मण्डल अधिकारियों से 2004-2005 के दौरान 53.12 करोड़ रूपये तथा 2005-2006 के दौरान 75.75 करोड़ रूपये की वसूली की। ये राशियां खजाने में राज्य के राजस्व के रूप में जमा करवाई गई। इससे न केवल ब्याज की हानि हुई, बल्कि इससे विभाग/सरकार के राजस्व की उस सीमा तक स्फीति भी हुई।

जुलाई 2006 में यह मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया, किन्तु सरकार ने प्रधान मुख्य अरण्यपाल का उत्तर बिना किसी टिप्पणी के सामान्य रूप से अग्रेषित कर दिया (सितम्बर 2006)।

छठा अध्याय: अन्य कर- कर-भिन्न प्राप्तियां

6.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान स्टॉम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य प्राप्तियों, लोक निर्माण कार्य प्राप्तियों आदि से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई नमूना जांच से 402 मामलों में 35.58 करोड़ रूपए की स्टॉम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के अनुदग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, पानी प्रभारों की अवसूली/अपव्यय और अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नांकित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस का अनुदग्रहण/अल्पोद्ग्रहण	148	1.14
2.	पानी प्रभारों की अवसूली	25	19.26
3.	अनधिकृत अधिभोक्ताओं से क्षतियों की अवसूली	14	0.17
4.	अन्य अनियमितताएं	215	15.01
	योग	402	35.58

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा में पूर्ववर्ती वर्षों में इगित किए गए 668 मामलों में 4.16 करोड़ रूपए के अवनिर्धारणों को स्वीकार कर लिया।

महत्वपूर्ण टिप्पणियों को दर्शाने वाले 0.79 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ उदाहरणार्थ मामलों को निम्नांकित परिच्छेदों में दिया गया है।

(क) स्टॉम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस

6.2 दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण

हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियम पुस्तक के साथ पठित भारतीय स्टॉम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम 1969 (1976 तक यथा संशोधित) के अंतर्गत "रीलीज़" वह प्रलेख है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अथवा किसी निर्दिष्ट सम्पत्ति का दावा छोड़ देता है। जब सम्पत्ति का एक सह स्वामी प्रलेख द्वारा अपना स्वामित्व अधिकार तथा अन्य सह-स्वामी के पक्ष में अपना स्वत्वाधिकार छोड़ देता है, तो ऐसा प्रलेख रीलीज़ प्रलेख होता है। रीलीज़ उस व्यक्ति के पक्ष में हो सकती है जिसका सम्पत्ति में पूर्व विद्यमान अधिकार अथवा हिस्सा हो। यह भी स्पष्ट किया गया था कि बेवा अपने हिस्से की रीलीज़ अपने लड़कों के पक्ष में नहीं कर सकती। वह केवल हस्तान्तरण प्रलेख के रूप में अपनी सम्पत्ति का हिस्सा दान कर सकती है जिस पर वही स्टॉम्प शुल्क/पंजीकरण फीस प्रभारित होती है।

दो उप पंजीयको* के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सितम्बर तथा दिसम्बर 2005 के मध्य यह देखा गया कि तीन* मामलों में रीलीज़ प्रलेख का निष्पादन जनवरी और मई 2004 को मध्य किया गया। एक मामले में बिक्री प्रलेख के द्वारा भूमि का थोड़ा भाग भू-स्वामी ने अपने भाई के पक्ष में जुलाई 2003 में आंतरित कर दिया। बाद में, भू-स्वामी ने कुछ और भू-भाग को मई 2004 में रीलीज विलेख द्वारा सम्बन्धित क्रेता को आंतरित कर दिया जो गलत था, क्योंकि क्रेता का सम्पत्ति में पूर्व विद्यमान अधिकार नहीं था और विलेख को हस्तातंरण विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना था अन्य मामले में बेवा मां ने अपना भाग अपने लड़के के पक्ष में रीलीज विलेख के माध्यम से दिया जो गलत था। अन्य मामले में पिता ने कुछ भू-भाग अपने दो पुत्रों के पक्ष में रीलीज विलेख के माध्यम से कर दिया जिनका सम्पत्ति में पूर्व-विद्यमान अधिकार नहीं था जो गलत था। विलेख को हस्तांतरण विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना था। अत:, दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 12.91 लाख रूपए के स्टॉम्प शुल्क व पंजीकरण फीस का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

इसे इंगित करने के पश्चात् उप पंजीयकों ने सितम्बर तथा दिसम्बर 2005 के मध्य बताया कि मामले की समीक्षा की जाएगी। आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (सितम्बर 2006)।

मामला सरकार को अक्तूबर 2005 तथा जनवरी 2006 के मध्य सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2006)।

---

* नदौन: एक मामला: 9.98 लाख रूपए (0.25 लाख रूपए की पंजीकरण फीस सहित) तथा पांवटा साहिब: दो मामले: 2.93 लाख रूपए (0.26 लाख रूपए की पंजीकरण फीस सहित)।

6.3 सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण

पर्तों[@] को तैयार करना पटवारियों का उत्तरदायित्व है। पंजीकरण महानिरीक्षक के स्पष्टीकरण (जून 1998) के अनुसार औसत मूल्य की गणना राजस्व अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की श्रेणी के आधार पर की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, औसत मूल्य पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान पंजीकृत विक्रय विलेखों पर किए गए इंतकाल पर आधारित होता है। पंजीयन अधिकारी को भी पटवारी द्वारा तैयार किए गए पर्तों के साथ विक्रय विलेखों में दर्शाए गए प्रतिफल का सत्यापन करना अपेक्षित है। यदि पंजीकरण अधिकारी को यह विश्वास करने के कारण नजर आते हों कि दस्तावेजों में सम्पत्ति का मूल्य या प्रतिफल सत्यपूर्वक नहीं दर्शाया गया है, तो वह ऐसे दस्तावेजों को पंजीकृत करने के पश्चात् समाहर्ता के समक्ष प्रतिफल की राशि और उचित देय शुल्क आंकलन हेतु प्रस्तुत कर सकता है।

6.3.1 उप पंजीयक, पच्छाद के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान अगस्त 2005 में देखा गया कि टिक्कर गांव में 38.17 बीघा भूमि के विक्रय हेतु विक्रय विलेख[#] 20 सितम्बर 2004 में पंजीकृत किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि पंजीकृत दस्तावेज में घोषित सम्पत्ति का प्रतिफल इलाके के सम्बन्धित पटवारी द्वारा तैयार पर्तों में दर्शाए गए औसत मूल्य से पर्याप्त नीचे था। तथापि पंजीकरण प्राधिकारी, विलेख का पंजीकरण करते समय पर्तों के साथ प्रलेख का सह-सम्बन्ध जानने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 16.81 लाख रूपये के स्टॉम्प शुल्क का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

इसे इंगित करने के पश्चात् विभाग ने फरवरी 2006 में बताया कि कोई और स्टॉम्प शुल्क वसूल योग्य नहीं था, तथा इसके समर्थन में 19 अक्तूबर 2004 से 18 अक्तूबर 2005 की अवधि हेतु पर्त भेजी गई। विभागीय उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि भेजी गई पर्त मौजा टिक्कर के स्थान पर नजदीक के गांव मौजा बड़ोल की थी और वह भी पूर्ववर्ती अवधि 19 अक्तूबर 2004 से 18 अक्तूबर 2005 की थी तथा इस मामले में लागू नहीं होती थी। पंजीकृत विलेख के साथ संलग्न पर्त में दर्शाई गई दर 21 सितम्बर 2003 से 20 सितम्बर 2004 की अवधि की थी जो इस मामले में लागू होती थी तथा मामले को बाजारी मूल्य के सही निर्धारणार्थ जिला समाहर्ता को भेजा जाना चाहिये था।

मामला सितम्बर 2005 में सरकार को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2006)।

6.3.2 30[@] उप पंजीयकों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान मई 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य देखा गया कि जून 2003 तथा दिसम्बर 2004 के मध्य पंजीकृत 133 दस्तावेजों में घोषित सम्पत्तियों का प्रतिफल

@ यह पटवारी द्वारा तैयार की गई भूमि की मूल्यांकन रिपोर्ट है। बाजारी मूल्य की गणना पूर्ववर्ती वर्ष हेतु बेची गई भूमि के विलेख में दर्शाई गई प्रतिफल राशि पर की जाती है।

\# संख्या 330/4

@ अम्ब, आनी, ओट, बड़सर, भोरंज, बिझड़ी, चम्बा, चुराह, डलहौजी, धर्मशाला, हमीरपुर, इन्दौरा, कुल्लू, कुमारसेन, मण्डी, मनाली, मूरंग, नाहन, निरमण्ड, नूरपुर, पालमपुर, राजगढ़, रामपुर, रोहडू, सैंज, सरकाघाट, सोलन,सुंदरनगर, सुन्नी तथा ऊना।

इलाके के सम्बद्ध पटवारियों द्वारा तैयार पर्तों में दर्शाए मूल्य से पर्याप्त नीचे था। 4.97 करोड़ रूपए के बाजारी मूल्य के प्रति विलेखों में घोषित मूल्य 2.92 करोड़ रूपए था। इसके परिणामस्वरूप 24.81 लाख रूपये के स्टाम्प शुल्क तथा 3.28 रूपए की पंजीकरण फीस का अल्पोद्ग्रण हुआ।

इसे इंगित करने के पश्चात् छः[♦] उप पंजीयकों ने नवम्बर 2005 तथा अगस्त 2006 में सूचित किया कि 15 मामलों में 1.54 लाख रूपए की राशि वसूली जा चुकी थी। शेष उप पंजीयकों के उत्तर प्रतीक्षित थे।

मामला मई 2005 व अप्रैल 2006 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2006)।

6.4 गलत छूट

हिमाचल प्रदेश सहकारिता, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1979 में प्रावधान है कि विभिन्न कृषि उद्देश्यों हेतु, ऋण, जो अल्पावधि न हो, बैंकों द्वारा दिए जाएंगे तथा इन मामलों में पंजीकरण फीस प्रभारित नहीं होगी। सरकार ने नवम्बर 1997 में भी स्पष्ट किया कि उन सभी मामलों में स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी जहां ऋण कृषि उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यार्थ प्राप्त किए गए थे।

23[$] उप पंजीयकों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत के नाम में 2003 तथा 2004 के दौरान 67 विलेख निष्पादित किए गए थे। 2.04 करोड़ रूपए के ऋण गैर कृषि उद्देश्यों हेतु अर्थात ट्रक/मिनी ट्रकों/मिनी बसों/जीपों/दुकानों के निर्माण/ढाबा खोलने तथा एल0पी0जी0 भण्डार कक्ष आदि के निर्माण के लिए थे। तथापि उप-पंजीयकों ने इन दस्तावेजों को पंजीकृत करते समय स्टॉम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का 7.07 लाख रूपए के स्थान पर 1.39 लाख रूपए का उद्ग्रहण किया। इसके कारण 5.68 लाख रूपए के स्टॉम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अल्पोद्ग्रण हुआ।

इसे इंगित करने के पश्चात् तीन[♠] उप पंजीयकों ने नवम्बर 2005 और जुलाई 2006 में सूचित किया कि नौ मामलों में 0.44 लाख रूपए वसूल किए जा चुके थे। शेष उप पंजीयकों के उत्तर प्रतीक्षित थे।

मामला मई 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य विभाग/सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2006)।

♦ बड़सर, भोरंज, डलहौजी, मनाली, रामपुर तथा सैंज।

$ आनी, अर्की, बाबाबड़ोह, बैजनाथ, बंगाणा, बंजार, बड़सर, भोरंज, बिझड़ी, घुमारवीं, इन्दौरा, कमरौ, कण्डाघाट, करसोग, खुदियां, कुमारसेन, नाहन, निरमण्ड, पच्छाद, पूह, संगड़ाह, सरकाघाट तथा धुरल।

♠ बड़सर, भोरंज तथा पूह।

6.5 आवास ऋणों पर गलत छूट

अन्य राज्यों* और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों बैंकों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा आवास उद्देश्यार्थ बैंक से अग्रिम लेने हेतु निष्पादित रहन्नामा विलेखों पर स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस से छूट नहीं थी।

29## उप पंजीयकों के अभिलेखों की नमूना जांच से उदघाटित हुआ कि पंजीकरण अधिकारियों ने 88 केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सरकार स्वायत्त निकायों/अन्य राज्यों/बैंकों के कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने 2004 के दौरान 2.97 करोड़ रू0 के गृह निर्माण अग्रिम लिए थे, स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अदायगी से छूट अनुमत की। दी गई छूट गलत थी तथा परिणामत: 10.38 लाख रूपए के स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण हुआ।

इसे मई 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य इंगित करने के पश्चात् उप पंजीयकों सिहुंता ने जुलाई 2006 में बताया कि 0.24 लाख रू0 वसूल किये जा चुके थे। अन्य सम्बन्धित उप पंजीयकों ने बताया कि सम्बद्ध विलेखों की पुनर्जाच की जाएगी और कार्रवाई विधि के अनुसार की जाएगी।

मामला विभाग तथा सरकार को मई 2005 तथा अप्रैल 2006 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2006)।

(ख) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

6.6 जल प्रभारों की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति अधिनियम, 1968 के प्रावधानानुसार लोगों से जल प्रभार समान दर अथवा मीटर कनैक्शनों के आधार पर लिए जाएंगे। यदि देय तिथि को भुगतान नहीं किया जाता, उद्गृहीत दरें बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल की जाएंगी।

20* सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान मई 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य यह देखा गया कि 1963-64 तथा 2004-05 की मध्यावधि हेतु 12.37 करोड़ रूपए की जल प्रभार राशि 31

---

* हिमाचल सरकार, इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व स्वायत्त निकायों के अतिरिक्त।

\#\# अम्ब, आनी, औट, बैजनाथ, बंगाणा, भरवाई, भोरंज,चचोट, ददाहू, धर्मशाला, इंदौरा जैसिंहपुर, ज्वाली, जुन्गा, कल्पा, खुडियां, कुमारसैन, कुल्लू, मण्डी, नूरपुर, पालमपुर, रामपुर, सैंज, शाहपुर, सिहूंता, सुजानपुर, धुरल तथा ऊना।

* बड़सर, बागी, बिलासपुर, धर्मशाला, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, कुल्लू मण्डल सं0 1, मण्डी, नालागढ़, नेरवा, पधर, सरकाघाट, शिमला मण्डल नं. ।।, सोलन, सुन्दरनगर, सुन्नी, धुरल, ऊना मण्डल सं0 1 तथा ऊना मण्डल सं0 2

मार्च 2005 तक वसूल नहीं की गई थी। नौ मण्डलों के सम्बन्ध में विश्लेषण से निम्नांकित अवधि अनुसार बकाया उद्घाटित हुए।

(लाख रूपए)

20 वर्षों से अधिक	0.18
10 से 20 वर्षों के मध्य	0.51
5 से 10 वर्षों के मध्य	3.72
3 से 5 वर्षों के मध्य	325.68
3 वर्षों से कम	842.62
योग	1,172.71

11[∝] मण्डलों के सम्बन्ध में 64.63 लाख रूपए के वर्षवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

इसे इंगित करने के पश्चात् सरकाघाट मण्डल ने बताया कि 1.81 लाख रूपए की जल प्रभारों की बकाया राशि वसूल की जा चुकी थी। तथापि वसूली के ब्यौरे नहीं दिये गये थे। शेष मण्डलों के उत्तर प्रतीक्षित थे। 12.35 करोड़ रूपए की शेष राशि की वसूली हेतु प्रभावी पग नहीं उठाए गए थे।

मामला विभाग/सरकार को मई 2005 और अप्रैल 2006 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

(ग) लोक निर्माण विभाग

6.7 अनधिकृत अधिभोगियों से क्षतियों की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास (सामान्य पूल) आवंटन नियमावली 1994 में प्रावधान है कि यदि आवास अनुमत अवधि के बाद आवंटिती के अधिकार में रहता है ऐसे आवंटिती को आवास के उपयोग तथा अधिभोग हेतु क्षतियों का 12 रूपए प्रति वर्गफुट की दर पर भुगतान करना होगा। सेवानिवृत्ति के मामले में आवास रखने की अनुमत अवधि चार मास तथा बाहरी स्थानांतरण के मामले में अधिकतम दो मास है।

दो लोक निर्माण मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान सितम्बर 2005 तथा अक्तूबर 2005 के मध्य यह देखा गया कि तीन[#] आवंटितियों द्वारा सरकारी आवास को अनुमत अवधियों के बाद भी रखा गया। किन्तु अनधिकृत अधिभोगियों से मार्च 2003 से अगस्त 2005 तक की अवधि हेतु 5.31 लाख रूपए की क्षति राशि वसूल नहीं की गई थी सरकारी आवास रखने की अनुमत अवधि के पश्चात् अधिभोगियों को बेदखल करने की कार्रवाई नहीं की गई।

∝ बागी, देहरा, हमीरपुर, घुमारवीं, मण्डी, नालागढ़, नेरवा, सरकाघाट, सुन्दरनगर, धुरल तथा ऊना मण्डल संख्या-1

\# शिमला भवन एवं मार्ग मण्डल-II: दो मामले: 2.57 लाख रूपए तथा संगड़ाह मण्डल:एक मामला: 2.74 लाख रूपए।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित करने के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता, शिमला मण्डल ने दिसम्बर 2005 में सूचित किया कि अनधिकृत रूप से रखे गए आवास को सम्बद्ध आवंटितियों से खाली करवाने तथा क्षति राशि जमा करवाने हेतु मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही थी। संगड़ाह मण्डल का उत्तर प्रतीक्षित था।

मामला विभाग तथा सरकार को अक्तूबर 2005 और नवम्बर 2005 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2006)।

(सुमन सक्सेना)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
29 NOV 2006

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
23 NOV 2006

©
भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक
2006

मूल्य:
भारत में: 65 रूपये
विदेश में : यू.एस. $ 5

www.cag.gov.in.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला– द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित